




# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट

जिला- गुना (2021-22)  
खनिज- रेत (संशोधित)



As Per Notification No. S.O. 141(E), 15<sup>th</sup> January, 2016, S611(E), 25<sup>th</sup> July 2018, New Delhi, Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF & CC), Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020

प्रस्तुतकर्ता  
श्रीमती पूजा वानखेडे  
खनि नियंत्रक  
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)  
जिला- गुना (म.प्र.)

*[Signature]*  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parivar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

*[Signature]*  
12310922

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुजरात (म.प्र.)  
क्रमांक/३-६/खनिज/२०२२/१०१

गुजरात, दिनांक २३/०९/२०२२

प्रति,

सदस्य संघिय,  
SEAC (सेक), म.प्र. प्रौद्योगिकी विभाग बोर्ड,  
पर्यावरण परिसार, फै-५, अरेरा कालोनी,  
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) के संबंध में।

---००---

Final  
SAND

उपरोक्त विषयांतर्गत के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खनिज रो संबंधित बैट्टक का आयोजन दिनांक 23.09.2022 में दिये गये गांछित युझाय के अनुरूप विन्दु क्र. १६ के एजेवजर ५ में प्री एवं पोरट मावूसन की संशोधित जानकारी पत्र के राथ संलग्न कर आपकी ओर सादर रांपेण्ट है।

संलग्न :- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज।

bwade  
प्रभारी खनि अधिकारी  
(खनिज शाखा)  
जिला-गुजरात (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना (म.प्र.)  
क्रमांक/3-6/खनिज/2022/1004

गुना, दिनांक 22/9/22



सदस्य सचिव,  
SEAC (सेक), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेठा कालोनी,  
भोपाल (म.प्र.)

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) के रांबंध में।

संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का पत्र क्र. 298। दिनांक 03.03.22

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश क्र. /3-6/खनिज/2022/373 गुना, दिनांक 24.03.2022 द्वारा सरटेलेवल रेक माइनिंग मैनेजमेंट गाड़लाईन 2016 एवं इनफोर्मेंट मॉनिटरिंग फार माइनिंग 2020 के अंतर्गत गुना जिले में स्थित खनिजों हेतु प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु उपरांभाग स्तरीय समिति (सब डिविजनल कमेटी) का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा अनुमोदित प्रारूप, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जनसागान्ध के युझाव हेतु गुना जिले के NIC पोर्टल पर 21 दिवस के लिए, दिनांक 29.07.2022 को वेबराईड पर अपलोड कराया गया था, जिस पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं।

दिनांक 27.08.2022 को 591वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक में गुना जिले के रांबंध में दिये गये सुझाव के अनुरूप रेत खनिज की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः प्रेषित की जा रही है। कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें।

प्रभारी खनि अधिकारी  
(खनिज शाखा)

जिला-गुना (म.प्र.)  
गुना, दिनांक 22/9/22

पृ.क्रमांक/3-6/खनिज/2022/1005

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, सिया सचिवालय पर्यावास भवन, जिला भोपाल की ओर यूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए खनिज भवन अरेठा हिल्स भोपाल की ओर पत्र क्र. 298। दिनांक 03.03.2022 के तारतम्य में सादर यूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी खनि अधिकारी  
(खनिज शाखा)  
जिला-गुना (म.प्र.)

SSO(SEAC)



राज्य स्तरीय पर्यावरण सम्बन्धीत निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं सम्बन्धीत प्रगति  
पर्यावरण अधिकारी, E-5, अरेशा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट - <http://www.mpselaa.nic.in>  
फ़ूलाम न. - 0755-2466970, 2460859  
फ़ैक्स न. - 0755-2462130

No: / 1620 / SEIAA/2021

Date: 11.8.2021

प्रति

संचालक  
अधिकारी सभा समिक्षक  
क्र. ५, खनिज भवन,  
अरेशा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

विषय: नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) तैयार करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्वात्ति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के हाथ  
जारी अधिसूचना दिनांक 15.01.2018 एवं 25.07.2018 के अनुसार प्रत्येक जिला स्तर पर नवीन जिला  
सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसे अधिसूचना के अनुसार प्रतोक ०५ वर्ष में  
अद्यतन (Update) किया जाना है।

उक्त संबंध में प्रत्येक जिले के खनिज अधिकारी को निर्देशित किया जाये कि MP SEIAA में  
प्रस्तुत किये जाने वाले पूर्व पर्यावरण रखीकृति के जिलेवार यानन प्रकरणों के आवेदनों के साथ  
परियोजना प्रस्तावक द्वारा संलग्न किये जा रहे परियोजना प्रस्ताव को नवीन प्ररतावित जिला सर्वेक्षण  
रिपोर्ट (DSR) में अनिवार्यतः सम्पर्कित करे।

साथ ही संबंधित जिले के खनिज अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावकों को यह भी प्रमाण-पत्र  
प्रदान करें कि वर्ष 2016-17 के उपरान्त स्लीकूत घंयानों को नवीन प्ररतावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में  
अनिवार्यतः सम्पर्कित किया जायेगा। इसके उपरान्त ही SEIAA द्वारा पर्यावरणीय रवीकृति हेतु ग्राह  
आदेदन मान्य किए जायेंगे।

(श्रीमन् शुभलाल)  
सदरस्य राजित

पृष्ठ. 1621 /SEIAA/2021

दिनांक - 11.8.2021

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनाएं।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. खनिज विकास निगम, पर्यावास भवन, अरेशा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) को योग्य सूचनाएं।

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCA)  
Paryavaran Parivar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सदरस्य राजित

राजित  
जिला-पुनर्जीवन  
जिला-पुनर्जीवन (म.प्र.)

(161)

राजालक्ष्मी  
भौमिकी तथा खनिकर्म प्रयोगशाला  
29-ए 'खनिज भवन' अरेसा हिल्स, भोपाल  
फोन एवं फैसला - ०९४२५१३६२४५५५८८८८  
Email - [info@environmentmp.com](mailto:info@environmentmp.com), M.P.)  
शास्त्रात्मक वाग M.O भोपाल दिनांक 08/04/2022  
क्रमांक १८६० / भौमिकी / न.क्र. / 2022  
प्रति,  
फलेपटर  
जिला - नरसिंहपुर, डिण्डीरी, गुना,  
शहडोल एवं यालियर (मोपद)  
अधीक्षक

प्राप्ति 11 APR 2022  
दिनांक 08/04/2022

विषय - जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट चाहत  
सदर्म - इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2981 दिनांक 03.03.2022

— ०० —

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश के समरत जिलों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सर्टेनेक्ट सेप्ड मैनेजमेंट गाईड लाईन 2016 एवं इनफोर्मेंट फॉर सेण्ड वाईनिंग 2020 की गाईड लाईन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सिविल अपील क्रमांक 3661-3662/2020 (बिहार राज्य एवं अन्य विरुद्ध पद्धन कुमार एवं अन्य) के अनुसार प्रत्येक जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गठित कर्मठी द्वारा तैयार किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि गठित कर्मठी द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करकर 21 दिवस हेतु जिला पोर्टल पर आमजन के दावे/आपत्ति हेतु प्रदर्शित करें, सत्प्रश्नात उक्त रिपोर्ट को संबंधित समिति द्वारा अनुमोदन प्रश्नात सिएक को प्रेषित करने का कष्ट करें।

१२/४/२२  
कार्यालय प्रमुख

पृ. क्रमांक / भौमिकी / न.क्र. / 2022

भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि -

- प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग, मन्त्रालय, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
- सभाग आयुक्त, संभाग ..... की ओर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी अधिकारी (खनि शाखा) जिला समरत की ओर लेख है कि उपरोक्त निर्देशानुसार गठित समिति द्वारा तत्काल सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Parivaran Parivar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

कार्यालय प्रमुख

12/04/22  
जिला-प्रमुख  
प्रमुख


1069

कार्यालय  
संचालक भौगोलिकी तथा खनिकर्म  
गद्यप्रदेश  
२९-ए, "खनिज भवन", अरेरा हिल्स, ओपाल  
फोन एवं फैक्स : ०७५६-२५५१४२२  
E-mail : [dirgeomin@mp.nic.in](mailto:dirgeomin@mp.nic.in)

दिनांक ०३/३/२२

29/8/1 खनिज/विविध/न.क.

समस्त कलेक्टर  
(खनि शाखा)  
गद्यप्रदेश



विषय : रस्टेनेबल सेण्ड गाइनिंग मेनेजमेंट गार्डलाईन 2016 एवं इनफोर्मेंट गानिटरिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 के अंतर्गत रेत खनिज हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने के संबंध में।

प्रत्येक जिले में रस्टेनेबल सेण्ड गाइनिंग मेनेजमेंट गार्डलाईन 2016 एवं इनफोर्मेंट मानिटरिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 गाइडलाईन के तहत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) तैयार की जानी है। जिले की डीएसआर तैयार किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। माननीय सर्वोच्च व्यायालय द्वारा सियिल अपील फ़रमांक ३६६१-३६६२/२०२० यिहार राज्य एवं अन्य विरुद्ध पर्यावरण फुमार एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक १०.११.२०२१ के अनुसार एवं रस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मेनेजमेंट गार्डलाईन 2016 एवं इनफोर्मेंट मानिटरिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 के पालन में प्रारूप डीएसआर निम्न संग्रहित द्वारा तैयार की जानी है :-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजरय)
2. जल संरक्षण विभाग के अधिकारी
3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण भौमिका के नामांकित अधिकारी
4. वन विभाग के अधिकारी
5. जिले के खनि अधिकारी/संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा पदस्थ अधिकारी

उपरोक्त अन्वेषित की जायेगी। सिएक (SEAC) द्वारा इसे सिया (SEIAA) को प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)

भा.प्र.से.

संचालक

(प्रशासन एवं खनिकर्म)

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parishar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

K. Nadeem  
जिला-मुख्य (म.प.)

पृ. क्रमांक 2982-86  
खनिज/विविध/न.क्र. 12022

भोपाल, दिनांक 03/3/22

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग की ओर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन, वन विभाग, पर्यावरण विभाग की ओर
3. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण बोर्ड, E-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी भोपाल।
4. लैनि अधिकारी जिला ..... मध्यप्रदेश की ओर संचालनालय द्वारा डीएसआर तैयार किये जाने हेतु वियुक्त एजेंसी द्वारा यदि प्रारूप डीएसआर तैयार किया जा चुका है तब इस प्रारूप डीएसआर का परीक्षण उपरोक्तानुसार गठित समिति से कराया जाये। समिति द्वारा इस प्रकार तैयार प्रारूप का अनुमोदन कर जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा।
5. प्रभारी अधिकारी, भौमिकी शाखा, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल की ओर पालनार्थ।

संचालक  
(प्रशासन एवं खनिकर्म)

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parishar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

broad  
खनिज/विविध/न.क्र.  
जिला-गुना (R.)

## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट समिति गुना

ग्रामीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक  
 3661-3661/2020 (बिहार राज्य एवं अन्य विस्तृत परबन कुमार एवं अन्य) के पारित  
 आदेश दिनांक 10.11.2021 के अनुसार एवं सरटेलेवल रोण्ड माइनिंग मैनेजमेंट  
 बाहुड़लाईल 2016 एवं इनफोर्मेंट गालिटरिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 के पालन में  
 संचालक महोदय औभिकी तथा खालिकर्म मध्याप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/  
 2981/2982-86 भोपाल दिनांक 03.03.2022 तथा कलेगटर महोदय जिला गुना के  
 आदेश क्र. 689-690 गुना, दिनांक 17.06.2022 के पालन में प्राप्त जिला सर्वेक्षण  
 रिपोर्ट (District Survey Report) लिम्न समिति द्वारा तैयार कर अनुमोदित की गई है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री एस.के. जैन	कार्यपालन यंत्री, जल संतोषन विभाग जिला गुना (म.प्र.)	(एस. के. जैन) कार्यपालन यंत्री जल संतोषन सभान गुना (म.प्र.)
2	श्री वीरेन्द्र सिंह बघेल	अनुविभागीय अधिकारी, राजरय-गुना, जिला गुना (म.प्र.)	✓ अनुविभागीय अधिकारी (गुना) पश्चानाम गुना (म.प्र.)
3	श्री आर.सी. डामोर	उप वन मण्डल अधिकारी, जिला गुना (म.प्र.)	✓ उप वन मण्डल अधिकारी (गुना) पश्चानाम गुना (म.प्र.)
4	श्री सुधान्धु तिवारी	जिला पर्यावरण अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड गुना (म.प्र.)	✓ प्रोत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड गोल विजयपुर, जिला गुना (म.प्र.) विन कोड 2678112
5	श्री आर.के. पाण्डेय	खनि अधिकारी जिला-गुना (म.प्र.)	✓ खनि अधिकारी जिला-गुना (म.प्र.)
6	श्री दीपक सवसेना	खनि निरीक्षक गुना	✓ खनि निरीक्षक जिला-गुना (म.प्र.)
7	श्रीमती पूजा वानखेडे	खनि निरीक्षक गुना (प्रस्तुतकर्ता)	✓ खनि निरीक्षक जिला-गुना (म.प्र.)



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राप्तिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2827।  
No. 2827।नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2018/श्रावण 3, 1940  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2018/SHRAVANA 3, 1940

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

का.आ. 3611(ब).—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में (जिसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) प्रकाशित वीर्याई थी, जिसके द्वारा पूर्व पर्यावरण निकासी के संबंध में निदेश जारी किए गए हैं;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में उक्त अधिसूचना को का.आ. 141(अ) तारीख 15 जनवरी, 2016 द्वारा संशोधित किया है, जिसमें गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को विहित किया गया है;

और रांची स्थित माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने 2015 की रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 1806, स्वप्रेरणा वनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (पीआईएल) सं. 2013 की 290, हेमंत कुमार शिल्कारवर वनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में, अन्य वातों के साथ, तारीख 11 अप्रैल, 2018 और 19 जून, 2018 के आदेश में वालू और रेत से भिन्न गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने या वालू और रेत से भिन्न गौण खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के लिए राज्य सरकार और/या जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण और जिला विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को निदेश दिया है;

और केंद्रीय सरकार लोक हित में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना देने की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान करती है;

और केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

4250 GL/2018

(I)  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(SLEIA)  
Paryavaran Parishar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

*[Signature]*  
रवीना. निलामी  
जिला-मुना (म.प्र.)

## अनुक्रमाणिका (Table of Contents)

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना (Introduction)	1
2.	जिला गुना में खनन कार्यकलापों का विहंगावलोकन (Overview of Mining Activities in District Guna)	7
3.	अवस्थिति क्षेत्र और वैधता की अवधि सहित जिले में खनन पट्टों की सूची (Detail List of Leases & Their Period of Validity, Area and Locations)	8
4.	विगत तीन वर्षों के राजस्व का व्यौरा (Revenue Details of Last Three Years)	11
5.	विगत तीन वर्षों के उत्पादन का व्यौरा (Production Details of Last Three Years)	11
6.	जिले की नदियों में तलछटों के जमाव की प्रक्रिया (Process of Deposition of Sediments in the Rivers of the District)	12
7.	गुना जिले का साधारण प्रोफाइल (General Profile of Guna District)	15
8.	जिले में भू-उपयोग आवरण का स्वरूप- वन, कृषि, उद्यान, खनन आदि (Land Use/Land Cover Pattern of the District- Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.)	16
9.	जिले की भूगर्भीय स्थिति (Geological Status of the District)	22
10.	जिले में वर्षावृत्ति एवं जलवायु स्थिति (Detail of Rainfall and Climate Condition of the District)	25
11.	जिला गुना का संसाधन मानचित्र (District Resource Map of Guna)	26

*State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(FPO)*

*Paryavaran Parishar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)*

*पर्यावरण परिषार (MP)  
पर्यावरण परिषार (MP)*

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
12.	<p>रिपोर्ट में अतिरिक्त अंतर्विष्ट बिन्दु (In Addition to the Above, the Report Shall Contain the Following)</p> <p>(क) जिलावार नदी या धारा और अन्य रेत के स्रोत के ब्यौरे (District Wise Detail of River or Stream &amp; Other Sand Source)</p> <p>(ख) जिलावार रेत या कंकड़ या समग्र संसाधनों की उपलब्धता (District Wise Availability of Sand or Gravel or Aggregate Resources)</p> <p>(ग) जिलावार विद्यमान रेत के खनन पट्टों के ब्यौरे और समग्र (District Wise Detail of Existing Mining Leases of Sand and Aggregates)</p>	27
13.	जिले में मुख्य नदियों के विवरण सहित निकासी प्रणाली- एनेक्जर I (Drainage System with Description of Main Rivers in the District- Annexure I)	27
14.	जिले में महत्वपूर्ण नदियों और धाराओं की मुख्य विशेषताएँ- एनेक्जर II व एनेक्जर III (Salient Features of Important Rivers and Streams- Annexure II & Annexure III)	28
15.	खनिज क्षमता- एनेक्जर IV (Mineral Potential- Annexure IV)	30
16.	रेत खनिज खदानों के प्री-मानसून व पोस्ट-मानसून अनुसार पुर्नभरण की जानकारी- एनेक्जर V (Information About Replenishment of Sand Mineral Mines According to Pre & Post Monsoon- Annexure V)	30
17.	जिले में स्थित नदी व जलधारा तथा रेत स्रोत की जानकारी (Information About River & Stream & Sand Source)	32

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	Location in the District)	
18.	गुना जिले की भू-आकृतिक संरचनाएँ, स्थलाकृति शीर्ष एवं ढलान का रूप (Geomorphological Structures, Physiographical Altitude and Slope Pattern of the Guna District)	36
19.	जिले में सतही जल संरचना एवं भूमिगत जल का परिदृश्य (Surface water & Ground water Scenario in the District)	40
20.	पर्यावरण पर खनन गतिविधियों का प्रभाव- वायु, जल, शौर, मिट्टी, वनस्पति, जीव, भूमि उपयोग, कृषि, वन आदि) (Impact of Mining Activities on the Environment- Air, Water, Noise, Soil, Vegetation, Species, Landuse Pattern, Agriculture, Forest etc.)	43
21.	पर्यावरण पर खनन संघात को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय (Remedial Measures to Minimize Mining Impact on Environment)	44
22.	खनन क्षेत्रों का पुनः सुधार (Reclamation of Mining Areas)	45
23.	जिले में स्वीकृत उत्थनिपट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों का विकास (Plantation & Development of Green Belts in the Approved Quarry Lease Areas in the District)	46
24.	जिले में व्यावसायिक स्वास्थ्य के मुद्दों का विवरण (Details of Occupational Health Issues in the District)	47
25.	जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन (Risk Assessment & Disaster Management)	49

  
 State Level Environment Impact  
 Assessment Authority, M.P.  
 (EPCA)  
 Parivaran Paricar  
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)


  
 Dr. B.N. Wadekar  
 IAS  
 2023-2024

## List of Maps

Nos.	Maps
1.	<i>Location Map</i>
2.	<i>Toposheet Map</i>
3.	<i>Satellite Map</i>
4.	<i>Base Map</i>
5.	<i>Geological &amp; Mineral Map of Madhya Pradesh</i>
6.	<i>Tehsil Map</i>
7.	<i>Land Use/Land Cover Pattern Map</i>
8.	<i>Forest Map</i>
9.	<i>Soil Map of Madhya Pradesh</i>
10.	<i>Soil Map</i>
11.	<i>Seismic Zone Map</i>
12.	<i>Geological Map</i>
13.	<i>District Resource Map</i>
14.	<i>Proposed Sand Quarry Map</i>
15.	<i>Basin Map</i>
16.	<i>Ground Water Potential Zone Map</i>
17.	<i>Watershed Map</i>
18.	<i>Geomorphological Map</i>
19.	<i>Physiographical Map</i>
20.	<i>Digital Elevation Model (DEM) Map</i>
21.	<i>Slope Map</i>
22.	<i>Drainage Map</i>
23.	<i>Water Resources Map</i>
24.	<i>Catchment Area Map</i>



  
 State Level Environment Impact  
 Assessment Authority, M.P.  
 (EPCA)  
 Parivarjan Parisar  
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
 Mr. Nitin Giri  
 Jhansi (Raj.)  
 जिला-गुना (राज.)


## 01- प्रस्तावना (Introduction)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2018 को जारी अधिसूचना अनुसार गौण खनिज रेत एवं अन्य गौण खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पृथक-पृथक तैयार किये जाने के प्रावधान सुनिश्चित किये गये हैं, जिसके अनुक्रम में शासन रत्तर से प्राप्त अद्यतन निर्देश अनुसार जिला गुना की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तावना उपबिन्दु से शुरू होकर प्रस्तावित प्रारूप अनुसार अग्रांकित रूप से तैयार की है। यह एक मार्गदर्शी दस्तावेज है, जिससे जिले की उपलब्ध खनिज संपदाओं की उपलब्धता एवं उनकी अवस्थिति संबंधित सूचनाओं का संकलन है।

खनिज की उपलब्धता एवं आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन प्लान में चाहे गये खनिज के दोहन हेतु अपनी यह अनुशंसा जारी कर सकेगी कि प्रस्तुत अवस्थिति पर खनिज की उपलब्धता है एवं जारी की जाने वाली सम्मति हेतु उपर्युक्त परिस्थितियां खनन स्थल पर हैं, साथ ही पर्यावरण से संबंधित यह आंकलन भी इस आधार पर संभव हो सकेगा कि पट्टाधारी को पर्यावरण सम्मति प्रदान की जावे अथवा प्रस्तुत पर्यावरण प्रबंधन में कुछ आवश्यक सुधार पश्चात सम्मति प्रदाय हेतु अनुमोदन किया जावे।

## मध्यप्रदेश राज्य में जिला गुना की स्थिति

LOCATION MAP OF DISTRICT GUNA




State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCA)

Paryavaran Parivar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)


गुना, प्राचीन अवंती साम्राज्य का हिस्सा था, जिसकी स्थापना प्रद्योत राजवंश के 'चण्ड प्रद्योत महासेना' ने की थी, बाद में शिशु संघ ने अवंत के राज्य को जोड़ा, जिसमें गुना को मगध के बढ़ते साम्राज्य में शामिल किया गया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, गुना को मराठा राजा श्री रामोजी राव सिंधिया ने जीत लिया और गुना, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद तक ग्वालियर राज्य का हिस्सा बना रहा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 28 मई 1948 को गुना मध्यप्रांत राज्य का हिस्सा बना, 01 नवंबर 1956 को मध्यप्रदेश की स्थापना होने पर गुना जिला, मध्यप्रदेश में शामिल हो गया। गुना जिले को मालवा व चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गुना जिले का वर्तमान प्रशासनिक मुख्यालय गुना, जिला मुख्यालय है। गुना शहर 05 नवंबर 1922 में स्थापित हुआ था। 19वीं सदी के पूर्व गुना, ईसागढ़ (अब जिला अशोकनगर में स्थित) जिले का एक छोटा सा गाँव था।

### जिला गुना- अध्ययन क्षेत्र




E/1 एवं E/5 के अंतर्गत विद्यमान है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊँचाई 474 मीटर (1555 फीट) है। जिला गुना  $23^{\circ}50'00''\text{N}$  -  $25^{\circ}10'00''\text{N}$  व  $76^{\circ}50'00''\text{E}$  -  $77^{\circ}40'00''\text{E}$ , अक्षांतरों देशांतरों के मध्य स्थित है।

### जिला गुना का उपग्रह चित्रण



Satellite Images, अंतरिक्ष से मानव निर्मित उपग्रहों द्वारा बिना किसी Physical Object के उपयोग द्वारा पृथ्वी के वास्तविक चित्रण को दर्शाती है, उक्त उपग्रह चित्रण जिला गुना को दर्शा रहा है।



जिला गुना मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित एक सीमावर्ती जिला है तथा इसका क्षेत्रफल 6,390 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है तथा जिले में कुल 07 तहसीले हैं, जो कि- गुना, आरोन, राघौगढ़, मधुसूदनगढ़, बमोरी,

चांचौडा एवं कुंभराज तथा 05 ब्लॉक क्षेत्र जो कि- गुना, बमोरी, राघौगढ़, आरोन तथा चांचौडा है। यह जिला पूर्व दिशा में अशोकनगर, उत्तर में शिवपुरी व दक्षिण में राजगढ़, भोपाल, विदिशा और सागर, पश्चिम व उत्तर-पश्चिम में राजस्थान के कोटा, उत्तर-पश्चिम में राजस्थान के झालावाड एवं बॉरा जिले से परिसीमित है। 15 अगस्त 2003 को गुना जिले को दो भागों में विभाजित किया गया, जिस से पूर्वी भाग अशोकनगर जिला बन गया।

गुना जिले में 04 विधानसभा क्षेत्र- गुना, बमोरी, चांचौडा और राघौगढ़ स्थित है। गुना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मध्यप्रदेश के 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक है। गुना जिले में स्थित राघौगढ़ एवं चांचौडा क्षेत्र राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में समावेशित है तथा वर्तमान में, गुना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गुना, बमोरी, अशोकनगर, चंदेरी, मुंगावली, शिवपुरी, पिछोर तथा कोलारस, गुना लोकसभा क्षेत्र में समावेशित है।

गुना जिला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-03 जिले के पश्चिमी भाग से गुजरता है। पश्चिम रेल्वे, बीना-कोटा तथा मकसी-रुठियाई खंड लाईन जिले के मध्य तथा दक्षिण-पश्चिमी भाग से होकर गुजरती है। जिला गुना सभी प्रमुख स्थान, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा पक्के मार्गों से जुड़ा हुआ है।

जिला गुना ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गुना जिले में प्रसिद्ध 'बजरंगगढ़ का किला' अवस्थित है, जिसका निर्माण सन् 1775 में मराठा शासकों द्वारा करवाया गया था तथा इस किले के अंदर तोपखाना, रंग महल, मोती महल, श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण मंदिर व हनुमान जी का मंदिर स्थित है। इसी प्रकार बजरंगगढ़ क्षेत्र में संगमरमर और शीशों से बने 700 वर्ष पुराने जैन सम्प्रदाय के तीर्थकर्ता भगवान श्री शांतिनाथ, श्री कुंथनाथ एवं श्री अर्हरनाथ के प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं। गुना जिले में प्रसिद्ध 'राघौगढ़ का किला' स्थित है, इस किले का निर्माण सन् 1673 में संभवतः चौहान खींची वंश के राजा ने करवाया था। गुना जिले में बीस भुजा माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, इस मंदिर में दुर्गा माता की 20 हाथों वाली हथियार धारण किए हुए प्रतिमा स्थापित है, इसके बारे में पौराणिक किवंदती है कि माता के 20 हाथों के, जिस व्यक्ति को दर्शन होते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार जिले में अन्य धार्मिक स्थल जैसे- पंचमुखी हनुमान आश्रम, हनुमान टेकरी, हनुमान मंदिर कैंट, राम जानकी मंदिर, खैरोदा मंदिर एवं


कंकाली मंदिर बमौरी, क्राइस्ट द किंग चर्च, निहाल देवी माता मन्दिर सिरसी-महु रोड, अजित खो आश्रम, दुका श्री हनुमान मंदिर राघौगढ़, प्राचीन गादेर गुफा, चार धाम मंदिर जामनेर आदि प्रसिद्ध स्थल है।

गुना जिले में मध्यप्रदेश का प्रथम आदिवासी शोध संचार केन्द्र स्थित है तथा जिले के भामावड़ गाँव में 'तेजाजी के मेले' का आयोजन किया जाता है, यह मेला तेजाजी की जंयती पर भाद्रपद शुक्ल दशमी पर आयोजित होता है, ऐसी मान्यता है कि तेजाजी के पास एक ऐसी शक्ति थी जो सॉप के काटने पर उसके जहर को खत्म कर देती है। गुना के विजयपुर से हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन यहाँ से होकर गुजरती है। हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर भारत की पहली रेटेट गैस पाइपलाइन है। गुना के विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा संचालित चार इकाईयों में से एक यहाँ पर खाद की फैक्ट्री है। गुना के विजयपुर में गेल (गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) इंडिया की उत्पादन इकाई है। वर्ष 1984 में स्थापित गेल भारत में गैस उत्पन्न करने वाली शीर्ष तकनीकी संस्था है।

गुना जिले में प्रसिद्ध कातिकिया वृत्त्य किया जाता है, यह वृत्त्य कार्तिक माह में किया जाता है। गुना के विजयपुर में भू-उपग्रह दूर संचार उपग्रह केन्द्र है। गुना जिले में धनिया का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है तथा यहाँ की तहसील कुंभराज स्थित मंडी, धनिया के लिए जानी जाती है। गुना जिले में गोपी कृष्ण सागर डैम स्थित है, जो कि पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है। गुना जिले में सिंध और पार्वती नदी प्रवाहित होती है। पार्वती नदी राजस्थान और गुना जिले की सीमा बनाती है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर के बीच से होकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। पार्वती नदी के किनारे कुंभराज, आरोन और सुठालिया परियोजना के नाम से बांध बनाया जाना प्रस्तावित है।

म.प्र. की पाँचवी सबसे बड़ी जनजाति 'सहरिया' गुना जिले में निवास करती है। गुना जिले में हिन्दी भाषा तथा बुंदेली व सहरिया बोली जाती है। कृषि जिले का मुख्य व्यवसाय है। गुना जिले में मुख्य फसल के रूप में ज्वार का उत्पादन किया जाता है, इसके अलावा गेहूँ और चने की खेती भी होती है। पशुपालन में गाय और भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है तथा जिले में मधेशी पालन उद्योग के रूप में दूध उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है।

## 02- जिला गुना में खनन कार्यकलापों का विहंगावलोकन (Overview of Mining Activities in District Guna)



### जिला गुना- तहसीलवार अध्ययन क्षेत्र



जिला गुना में मुख्यतः गौण खनिज निक्षेप पाये जाते हैं, जिसमें खनिज रेत, गिट्टी निर्माण हेतु पत्थर, मिट्टी, मुरुम तथा फर्शीपत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जिले में गौण खनिज रेत की 23 खदाने नीलामी हेतु प्रस्तावित की गई हैं।

**03- अवस्थिति क्षेत्र और वैधता की अवधि सहित जिले में खनन पट्टो की सूची (Detail List of Leases & Their Period of Validity, Area and Locations)**

**जिला गुना स्थित प्रस्तावित रेत खदानों की सूची**

क्र.	जिला	तहसील	नदी का नाम	ग्राम	खसरा क्र.	रक्खा (हि.)	उपलब्ध मात्रा (घ.मी.)	अक्षांश-देशांश
01.	गुना	गुना	सिंध	रोरी (बेहटाघाट)	29/1	5.000	2,000	24°38'10.50"N 77°29'03.10"E 24°38'11.31"N 77°29'02.07"E 24°38'32.50"N 77°29'32.50"E 24°38'32.39"N 77°29'33.79"E
02.	गुना	गुना	सिंध	कोठिया (बेहटाघाट)	354	5.000	2,000	24°37'41.11"N 77°28'59.00"E 24°38'09.42"N 77°29'00.61"E 24°38'09.40"N 77°29'03.45"E 24°37'41.56"N 77°29'01.58"E
03.	गुना	गुना	सिंध	गोपालपुर	227	5.000	10,000	24°43'47.64"N 77°33'19.38"E 24°43'55.53"N 77°33'13.23"E
04.	गुना	गुना	सिंध	बेरखेडी (उकावद)	251	5.000	2,000	24°23'52.06"N 77°30'11.52"E 24°23'51.69"N 77°30'13.28"E 24°24'18.17"N 77°30'32.43"E 24°24'20.35"N 77°30'30.75"E
05.	गुना	गुना	सिंध	रमपुरा- कमलापुर- माहुर	978	5.000	2,000	24°36'00.51"N 77°27'29.66"E 24°36'00.53"N 77°27'29.16"E 24°36'21.71"N 77°28'25.47"E 24°36'22.87"N 77°28'15.75"E
06.	गुना	गुना	सिंध	लहरघाट (खोकर)	106,107	5.000	10,000	24°49'45.72"N 77°31'14.85"E 24°49'45.43"N 77°31'16.00"E 24°49'30.57"N 77°31'12.34"E 24°49'32.55"N 77°31'09.85"E

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(FPO)

Paryavaran Parivar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

07.	गुना	आरोन	सिंध	देहरीखुर्द	548	5.000	2,000	24°29'08.30"N 77°29'34.32"E 24°29'09.30"N 77°29'31.70"E 24°29'36.48"N 77°29'29.50"E 24°29'37.23"N 77°29'48.55"E
08.	गुना	आरोन	सिंध	ढिमरयाई	202,196	5.000	2,000	24°21'37.08"N 77°28'33.10"E 24°21'35.7"N 77°28'32.30"E 24°21'33.6"N 77°28'31.50"E
09.	गुना	आरोन	सिंध	इकोदिया (ढिमरयाई)	333	5.000	2,000	24°28'14.25"N 77°6'31.27"E 24°28'15.34"N 77°6'31.25"E
10.	गुना	आरोन	सिंध	सेमराखेडा (ढिमरयाई)	32	5.000	2,000	24°22'21.6"N 77°30'19.60"E 24°22'22.3"N 77°30'17.00"E 24°22'21.8"N 77°30'14.60"E
11.	गुना	आरोन	सिंध	देवमढी (जखोदा)	306	5.000	10,000	24°25'07.08"N 77°30'07.07"E 24°25'07.28"N 77°30'09.01"E 24°25'34.10"N 77°30'13.94"E 24°25'33.29"N 77°30'12.48"E
12.	गुना	राघौगढ़	पार्वती	ककवासा	109	5.000	6,000	24°32'82.19"N 77°32'90.10"E 24°32'68.43"N 77°32'91.03"E
13.	गुना	राघौगढ़	पार्वती	साकोन्या	1	5.000	6,000	24°20'51.72"N 77°6'32.31"E 24°20'54.44"N 77°6'27.74"E 24°20'51.99"N 77°6'22.41"E 24°21'01.41"N 77°6'18.16"E 24°21'03.72"N 77°6'20.69"E 24°21'0.50"N 77°6'24.52"E 24°20'58.05"N 77°6'28.27"E 24°20'54.99"N 77°6'34.36"E
14.	गुना	राघौगढ़	पार्वती	इकोदिया बेलका	1	5.000	5,000	24°29'7.99"N 77°5'27.55"E 24°29'6.46"N 77°5'27.55"E 24°28'54.08"N 77°5'43.49"E 24°28'53.08"N 77°5'42.69"E
15.	गुना	मकसूदनगढ़	पार्वती	हिंगोना	1	5.000	5,000	24°06'37.02"N 77°10'59.60"E 24°06'34.48"N 77°10'58.95"E

								24°06'40.55"N 77°10'56.97"E 24°06'44.73"N 77°10'54.90"E 24°06'50.05"N 77°10'52.84"E 24°06'55.05"N 77°10'55.21"E 24°06'45.32"N 77°10'57.27"E 24°06'39.21"N 77°10'59.90"E 24°06'33.45"N 77°11'2.07"E 24°06'29.50"N 77°11'3.80"E
16.	गुना	मकसूदनगढ़	पार्वती	बीलखेडा (नागनखेडी)	116	5.000	6,000	23°57'56.84"N 77°13'57.68"E 23°57'55.97"N 77°13'58.71"E 23°57'39.82"N 77°14'15.84"E 23°57'41.09"N 77°14'13.90"E
17.	गुना	मकसूदनगढ़	पार्वती	इमलिया (किताखेडी)	62,64	5.000	6,000	24°1'10.69"N 77°12'35.67"E 24°1'19.66"N 77°12'17.01"E 24°1'34.21"N 77°12'08.07"E 24°1'33.35"N 77°12'02.10"E 24°1'34.30"N 77°12'02.31"E 24°1'35.25"N 77°12'08.50"E 24°1'20.77"N 77°12'27.77"E 24°1'11.47"N 77°12'36.17"E
18.	गुना	मकसूदनगढ़	पार्वती	रघुनाथपुरा (कादीखेडा)	76	5.000	2,000	23°56'58.18"N 77°09'57.27"E 23°57'11.44"N 77°10'12.04"E 23°57'09.01"N 77°10'14.39"E 23°57'06.12"N 77°10'10.59"E 23°57'06.69"N 77°10'09.98"E 23°56'56.96"N 77°10'00.10"E
19.	गुना	मकसूदनगढ़	पार्वती	ताजपुरा	1	5.000	2,000	24°10'14.40"N 77°09'21.72"E 24°10'17.27"N 77°09'26.09"E 24°10'06.01"N 77°09'33.84"E 24°10'04.68"N 77°09'29.35"E
20.	गुना	चांचौडा	पार्वती	बापचा लहरिया	85	5.000	10,000	24°12'09.30"N 77°08'27.78"E 24°12'12.66"N 77°08'31.41"E 24°12'50.06"N

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)

Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Page | 10

								77°08'22.60"E 24°12'48.52"N 77°08'17.08"E
21.	गुना	चांचौडा	पार्वती	चौपनकलां	397	5,000	2,000	26°24'2.31"N 79°03'40.82"E
22.	गुना	कुंभराज	पार्वती	भमावद	186	5,000	2,000	24°29'31.08"N 77°05'11.80"E 24°29'24.09"N 77°05'14.30"E 24°29'29.08"N 77°05'16.70"E 24°29'32.00"N 77°05'16.20"E
23.	गुना	कुंभराज	पार्वती	खटकिया (कालापाठा)	324	5,000	2,000	24°22'42.14"N 77°03'02.81"E 24°22'42.86"N 77°03'02.97"E 24°22'50.34"N 77°03'30.11"E 24°22'50.79"N 77°03'21.22"E
	योग-				115	1,00,000		

#### 04- विगत तीन वर्षों के राजस्व का व्यौरा (Revenue Details of Last Three Years)

मध्यप्रदेश शासन को जिला गुना से, विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेत खनिज से 2,74,88,161/- राजस्व की प्राप्ति हुई है, अतः खनिज उपलब्धता के दृष्टिकोण से जिला गुना मध्यप्रदेश राज्य का गौण खनिज रेत उपलब्धता वाला एक महत्वपूर्ण जिला है।


स.क्र.	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राजस्व (रुपयो में)
1	2019-20	2,13,374/-
2	2020-21	निरंक
3	2021-22	2,74,88,161/-

#### 05- विगत तीन वर्षों के उत्पादन का व्यौरा (Production Details of Last Three Years)

वित्तीय वर्ष	खनिज	उत्पादन (घ.मी.)
2019-20	रेत	2,134
2020-21	रेत	निरंक
2021-22	रेत	21,990

## 06- जिले की नदियों में तलछटों के जमाव की प्रक्रिया (Process of Deposition of Sediments in the Rivers of the District)


नदी की गति धीमी होने पर नदियों में गाढ़ जमा हो जाती है। कंकड़ और रेत जैसे बड़े, उभयलिंगी कण पहले जमा किए जाते हैं, जबकि हल्का सिल्ट और मिट्टी केवल तभी जमा होती है, जब पानी लगभग स्थिर हो। जब कोई नदी किसी के या समुद्र में पहुँचती है, तो वह अपनी तलछट का अधिकांश भाग शीघ्रता से जमा कर देती है। यह नदी चैनल को चोक कर सकती है, जो तब वितरिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसके बीच वैम्प बनते हैं। नदी के बाहरी छोर पर पानी का प्रवाह सबसे मजबूत होता है, जिससे तट का क्षरण होता है, लेकिन मोड़ के अंदर सबसे धीमा होता है, जिससे रेत और बजरी का जमाव होता है। एक जलोढ़ चैनल की ढीली सीमा (चल सामग्री से मिलकर) बहने की क्रिया के तहत विकृत हो जाती है, पानी और विकृत बिस्तर इसकी बदलती खुरदरापन



(बिस्तर रूपों) के साथ प्रवाह के साथ बातचीत करता है। एक स्थिर और एकसमान प्रवाह विकसित होने पर सीमा की एक गतिशील संतुलन स्थिति की उम्मीद की जा सकती है। प्रवाह की दिशा में बिस्तर सामग्री (तलछट) की परिणामी गति को तलछट परिवहन कहा जाता है। भार के परिवहन के लिए नदी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए जब नदी ऊर्जा खो देती है तो उसे अपना भार जमा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नदी की ऊर्जा खोने के कई कारण हो सकते हैं। यदि नदी का बहाव कम हो जाता है तो नदी

ऊर्जा खो देगी, क्योंकि यह अब उतनी तेजी से नहीं बह रही है। यह वर्षा की कमी या वाष्पीकरण में वृद्धि के कारण हो सकता है। किसी नदी का बढ़ा हुआ मानव उपयोग (अमूर्त) भी इसके निर्वहन को कम कर सकता है और इसके भार को जमा कर सकता है। जब एक नदी समुद्र से मिलती है तो एक नदी अपना भार जमा कर देगी क्योंकि आमतौर पर ढाल समुद्र के स्तर पर कम हो जाती है और समुद्र बहुत सारी ऊर्जा को अवशेषित कर लेगा।

एक हिस्टोग्राम वक्र एक विशेष प्रकार का ग्राफ़ है, जो दर्शाता है कि नदी का वेग उसकी क्षमता को कैसे प्रभावित करता है और विभिन्न आकारों के कणों को नष्ट करने की उसकी क्षमता हिस्टोग्राम वक्र पर दो वक्र हैं, एक महत्वपूर्ण क्षरण वेग वक्र और एक औसत बरसने वाला वेग वक्र। क्रान्तिक अपरदन वक्र किसी कण को ले जाने और नष्ट करने के लिए आवश्यक व्यूनतम वेग दर्शाता है। मध्य जमाव का वेग व्यूनतम गति को दर्शाता है कि विभिन्न आकार के कण नदी द्वारा जमा किए जाएंगे। वक्रों के बीच छायांकित क्षेत्र अलग-अलग प्रक्रिया दिखाते हैं जो उन छायांकित क्षेत्रों में स्थित कणों के लिए होगी।



महीन कण (कम गिरावट वेग के साथ) द्रव अशांति से निलंबन में फंस जाते हैं और निलंबन में चैनल के साथ ले जाया जाता है। परिवहन के इस तरीके को 'निलंबित भार' कहा जाता है। कभी-कभी अपलैंड कैचमेंट (आकार जो बेड सामग्री में मौजूद नहीं होते हैं) से महीन कण, जिन्हें 'वॉश लोड' कहा जाता है, को भी सर्पेशन में ले जाया जाता है। संयुक्त विस्तार सामग्री और वॉश लोड 'कुल भार' कहलाता है।


तराई नदियों में कुल भार के कुछ प्रतिशत से लेकर पर्वतीय नदियों में 15% तक और कुछ शुष्क जलग्रहण क्षेत्रों में 60% से अधिक बेड लोड होता है। हालांकि कुल तलछट भार का एक अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा, तलछट रेत और बजरी चैनलों का गठन करती है। तलछट परिवहन की दर आम तौर पर प्रवाह के एक शक्ति कार्य के रूप में बढ़ जाती है, यानी प्रवाह का दोगुना होना आमतौर पर तलछट परिवहन तलछट में दोगुने से अधिक का उत्पादन करता है और अधिकांश परिवहन बाढ़ के दौरान होता है। इन-स्ट्रीम खनन से पर्यावरणीय प्रभावों से बचा जा सकता है, यदि वार्षिक बेड लोड की गणना की जाती है और कुल निष्कर्षण उस मूल्य या उसके कुछ हिस्से तक सीमित है। बेड लोड के कुछ हिस्से तक निष्कर्षण को सटीक रूप से सीमित करने के लिए, एक निश्चित अवधि के दौरान इन-स्ट्रीम खनन स्थल से गुजरने वाली तलछट की मात्रा की गणना की जानी चाहिए। बेड लोड परिवहन की वार्षिक दरों की गणना की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में अनिश्चितता है। कितना मोटा पदार्थ ले जाया जाता है, कितनी देर तक गति में रहता है और कितनी दूर तक चलता है यह सामग्री के आकार, आकार और पैकिंग और नदी के प्रवाह की विशेषताओं पर निर्भर करता है। डाउनस्ट्रीम आंदोलन आमतौर पर छोटी दूरी की गति के अनियमित फटने के रूप में होता है, जो लंबी अवधि से अलग होते हैं, जब कण आराम पर रहते हैं। चूंकि बेड लोड घंटे-दर-घंटे, दिन-प्रतिदिन और साल-दर-साल बदलता रहता है, इसलिए वार्षिक बेड लोड दरों का अनुमान लगाना एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें सावधानीपूर्वक जांच शामिल है। नदी के प्रवाह में लगातार बदलाव चैनल के फर्श और नदी के किनारों को एक गतिशील इंटरफेस बनाते हैं, जहां कुछ सामग्री का क्षरण हो रहा है जबकि अन्य जमा हो रहे हैं। अल्पावधि के आधार पर इस गतिविधि के शुद्ध संतुलन को रकाउर या फिल के रूप में संदर्भित किया जाता है। दीर्घकालिक आधार पर, निरंतर परिमार्जन के परिणाम क्षरण (गिरावट) में होते हैं, जबकि निरंतर भरण परिणाम जमाव में होते हैं। एक धारा की स्थिरता का एक सामान्य संकेतक मौजूद वनस्पति की मात्रा से संबंधित है। बजरी की छड़ें जो वनस्पतियुक्त होती हैं या जहां बजरी को कसकर पैक किया जाता है, आमतौर पर धाराओं को इंगित करता है, जहां बजरी की आपूर्ति संतुलन में है। अत्यधिक बजरी वाली धाराओं में आमतौर पर बजरी की छड़े होती हैं, जिनमें बहुत कम या कोई वनस्पति नहीं होती है, और ढीले-ढाले बजरी के साथ सामने आती हैं।


## 07- गुना जिले का साधारण प्रोफाइल (General Profile of Guna District)

## मध्यप्रदेश के गुना जिले की महत्वपूर्ण जानकारी

क्र.	जिले की जानकारी	जिले का तथ्य
1.	जिले का नाम	गुना
2.	गठन	01 नवंबर, 1956
3.	ब्लॉक	गुना, बमोरी, आरोन, राघौगढ़ तथा चांचौडा
4.	तहसीलें	गुना, बमोरी, चांचौडा, कुंभराज, राघौगढ़, आरोन, मकसूदनगढ़
5.	पडोसी जिलों के साथ सीमा	राजगढ़, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी
6.	संभागीय कार्यालय	ग्वालियर
7.	जिले का क्षेत्रफल	6,390 वर्ग कि.मी.
8.	गाँव	1,338
9.	भाषा	हिन्दी
10.	बोलियाँ	बुंदेली तथा सहरिया
11.	पुलिस स्टेशन	15
12.	जनसंख्या (2011)	12,41,519
13.	साक्षरता दर (2011)	63.23 प्रतिशत
14.	राज्यों के साथ सीमा	राजस्थान (झालावाड और बारां)
15.	भौगोलिक स्थिति	23°50'00"N - 25°10'00"N व 76°50'00"E - 77°40'00"E अक्षांश-देशांश
16.	राष्ट्रीय राजमार्ग	एन.एच.-3
17.	मुख्य नदियाँ	पार्वती एवं सिंध
18.	विधानसभा सीट	गुना, बमोरी, चांचौडा, राघौगढ़
19.	लोकसभा सीट	गुना (गुना, बमोरी, अशोकनगर, चंदेरी, मुंगावली, शिवपुरी, पिछोर तथा कोलारस निर्वाचन क्षेत्र)
20.	समुद्र तल से औसत ऊँचाई	474 मीटर (1,555 फीट)

**08- जिले में भू-उपयोग आवरण का स्वरूप- वन, कृषि, उद्यान, खनन आदि (Land Use/Land Cover Pattern of the District- Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.)**






### Land Use & Land Cover Classes of the District Guna

LU/LC Breakup of the District	% of Area	Area (in Sq. km.)
Built-up Land	0.27682934	17.5014
Crop Land	58.63356896	3706.867
Deciduous Broadleaf Forest	22.68169229	1433.957
Fallow Land	6.762921755	427.558
Mixed Forest	4.961476347	313.669
Shrubland	5.331733651	337.077
Wasteland	0.102145018	6.4577
Water Bodies	1.209783474	76.4836
Plantation	0.039891871	2.522

Central Environment Assessment Authority, M.P.  
(CEAA)  
Paryavaran Parivar

E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)




जिला गुना के वन मण्डल का वन क्षेत्रफल कुल 180 वन खण्डों के अंतर्गत सम्मिलित होकर कुल 2214.67 वर्ग कि.मी. है, जिसमें से आरक्षित वनों का क्षेत्रफल 774.60 वर्ग कि.मी. जिसमें 25 वन खण्ड सम्मिलित हैं तथा संरक्षित वनों का क्षेत्रफल 1440.07 वर्ग कि.मी. जिसमें 155 वन खण्ड सम्मिलित हैं।

जिला गुना में तीन प्रकार का Forest Classification पाया जाता है-

1. Teak Forest
2. Mixed Forest
3. Bamboo Forest

जिला गुना में वनों की निम्नलिखित प्रजातियाँ पाई जाती हैं जैसे कि- Teak, Dhaora, Achar, Aonla, khair, Kaim, Tendu, Bija, Behera, Salai, Tinsa, Gurjan, Khai, Sal, Palas, Bamboo, Dhaoral, Lendia, Sajaj etc.

*(Signature)*  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCA)  
Parivartan Parivar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)




मध्यप्रदेश में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टीयाँ पाई जाती हैं-

1. काली मिट्टी
2. लाल-पीली मिट्टी
3. जलोढ़ मिट्टी
4. कछारी मिट्टी
5. मिश्रित मिट्टी


*MSLEI*  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Parivaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

गुना जिले का भू-भाग, जलोढ़ मिट्टी एवं गहरे रंग की काली मिट्टी के आवरण वाला है, जिसे दोमट मिट्टी (Loamy Soil) भी कहा जाता है। यह मिट्टी उर्वरक एवं काफी उपजाऊ होती है। इस प्रकार की मिट्टी में सिल्ट, चिकनी मिट्टी एवं बालू का मिश्रण होता है जिसमें 40 प्रतिशत सिल्ट, 20 प्रतिशत चिकनी मिट्टी तथा 40 प्रतिशत बालू की मात्रा की उपस्थिति होती है, यह उक्त संरचना मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। इस मिट्टी के कणों में बहुत अधिक जल धारण क्षमता होती है, जिस कारण यह पानी की पर्याप्त मात्रा को रोके रहती है और इसमें वायु संचार भली-भौति होता है।




गुना जिले में काली मिट्टी का निर्माण यहाँ पर पाई जाने वाली डेवकन ट्रेप बैसाल्टिक लावा चट्टानों के क्षण के कारण हुआ है। इस मिट्टी के रसायनिक संगठन में अन्य रसायनों के अलावा लोहे और चूने की मात्रा अधिक होने से इसका रंग काला हो जाता है। पानी पड़ने पर ये मिट्टी चिपकती है और सूखने पर इनमें बड़ी-बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे मिट्टी में वायु संचरण तथा जल निकासी की समस्या नहीं होती है।

गुना जिले के आरोन एवं चांचौडा ब्लॉक के कुछ क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी (Clay Soil) भी पाई जाती है, इस मिट्टी के कण बहुत ही महीन होते हैं और पास-पास स्थित होने के कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। इस मिट्टी के कणों में जल धारण क्षमता कम होती है तथा Air Spaces कम होने के कारण वायु संचार नहीं होता है, जिस कारण यह मिट्टी अधिक उर्वरक नहीं होती है।



जिला गुना Seismic Activity Zone के Low Damage Risk Zone के अंतर्गत आता है।

## **09- जिले की भूगर्भीय स्थिति (Geological Status of the District)**



Vindhyan Super Group के Rock Type, Upper Vindhyan Rock Types द्वारा दर्शित हैं, जिसके अंतर्गत Bhander Group के शैल प्रकार सम्मिलित हैं। Neo Proterozoic काल

(90-57 करोड वर्ष) के Bhander Group में Ganurgarh Shale साथ में बालू पत्थर, Bhander Limestone व Lower Bhander Sandstone साथ में अंदर अनियमित शैल प्रकारों का समावेश है। यह जिले के उत्तर-पश्चिमी भाग में एवं डेवकन ट्रैप के मध्य पाये जाते हैं। Vindhyan Super Group के Rock Types प्रमुखतः श्रेणीबद्ध शैल व बालू पत्थर के एकान्तरित क्रम में पाये जाते हैं।

Cretaceous काल (13.6-5 करोड वर्ष) के लमेटा समूह के शैल-प्रकार सिलिसियस चुना-पत्थर व अत्यधिक जीवाश्मयुक्त बालू-पत्थर से युक्त है, जो जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में 08 से 25 कि.मी. सिरसी के दक्षिण-पूर्व में व्याप्त है। यह शैल प्रकार डेवकन ट्रैप लावा-स्तरों के नीचे समतलीय अवस्था में विद्यमान है।

Cretaceous to Palaeogene काल (6.5-6 करोड वर्ष) के Deccan Traps के अंतर्गत मालवा समूह के Basaltic Lava Flows जिले के दक्षिणी, मध्य, कुछ उत्तरी भाग तथा उत्तर-पश्चिमी भागों में व्याप्त है। Deccan Traps Lava Flows के Base में Intertrappeans पाये जाते हैं, जिनका Occurrence, Lacustrine or Fluvialite Origin का है। इनके अंतर्गत जीवाश्मयुक्त चट्ठ व जीवाश्म-विहीन चट्ठी चूना-पत्थर है, जो कि जिले के उत्तर-पश्चिमी दक्षिण-पूर्वी व दक्षिणी भाग में पाये जाते हैं। मालवा समूह के लावा स्तरों को कालीसिन्ध, कांकरिया-पीरुखेड़ी व इंदौर संरचना स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। यह समूह 14 बैसाल्ट लावा-स्तरों से युक्त है, जो 'आ', 'पाहोहो' व मेगाक्रिस्ट प्रकृति के हैं। कालीसिन्ध संरचना स्तर पॉच 'आ' प्रकार के बैसाल्ट लावा-स्तरों से युक्त है, जो नॉन-पॉरफिरिटिक से मध्यम पॉरफिरिटिक प्रकार के हैं। कांकरिया-पीरुखेड़ी संरचना स्तर चार 'आ' प्रकार बैसाल्ट लावा-स्तरों जो नॉन-पॉरफिरिटिक से कम पॉरफिरिटिक व एक मेगा-क्रिस्ट लावा-स्तर ऊपरी-मध्य भाग में तथा एक 'पाहोहो' लावास्तर आधार में पाया जाता है, नवीनतम इंदौर संरचना-स्तर मात्र एक 'आ' प्रकार के बैसाल्ट लावा-स्तर से युक्त है, जो अल्प से मध्यम पॉरफिरिटिक गुणों का है।

Cainozoic काल (7-0.1 से कम करोड़ वर्ष) के लेटेराइट बडे बोल्डरों या शिला-खण्डों व निक्षेपों रूप में विद्यन उन्न भू-भाग व डेवकन पठारों पर आच्छादित है, जो जिले के मध्य व पश्चिमी भाग में व्याप्त है। लौहयुक्त लेटेराइट के निक्षेपों के स्तरों की मोटाई 1 से 5 मीटर है। चतुर्थकल्पीय काल (10 लाख वर्ष से कम) के जलोढ़क संकरी पटिकाओं तथा पृथक रूप से विकसित खण्डों के रूप में पार्वती नदी के किनारों पर जिले के दक्षिणी भाग में तथा पारोत के निकट जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में विद्यमान है। यह जलोढ़क पैंबल स्तर, ग्रिट, सिल्ट व बालू से युक्त है।

*[Signature]*  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCA)

Paryavaran Parishad  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)


## Geological Succession of District Guna

<u>Lithology</u>	<u>Stratigraphic Status</u>	<u>Age</u>
Alluvium (Sand & Silt)		Quaternary
Laterite		Cainozoic
'Aa', Compound 'Pahoehoe' And Basaltic Lava Flows (Malwa Group – Deccan Trap)	Indore Formation  Kankariya Formation Pirukheri Formation Ranod Formation	Cretaceous to Palaeogene
Lameta Group	Kali Sindh Formation Karwa Formation  Unclassified Basaltic Lava Flows/Intertrappean (Limestone and Chert)	
Vindhyan Super Group (Bhander Group)	Siliceous Limestone & Fossiliferous Sandstone  Lower Bhander Sandstone Bhander Limestone Ganurgarh Shale	Cretaceous  Neo Proterozoic (Late)

## 10- जिले में वर्षावृत्ति एवं जलवायु स्थिति (Rainfall & Climate Condition in the District)


Rainfall in Guna District (Data as per Ground Water Year Book – CGWB)

Year	Monsoon Rainfall	Normal Rainfall	Departure from Normal Monsoon Rainfall (%)	Category
2017-18	631.4	879.4	-28	Deficit
2018-19	907.8	943	-4	Normal
2019-20	1557.2	888.1	75	Large Excess
2020-21	847	888.1	-5	Normal
2021-22	1633.2	888.1	84	Large Excess



जिला गुना में मानसून का मौसम जुलाई से प्रारंभ होता है, इस दौरान यहाँ नियमित वर्षा होती है। जिला गुना सर्दी में अत्यधिक ठंडा रहता है। सर्दी का मौसम नवम्बर से फरवरी तक रहता है। दिसम्बर और जनवरी में यहाँ रात का तापमान कभी-कभी 5 से 6 डिग्री सेन्टीग्रेड तक चला जाता है जबकि उच्चतम तापमान दिन में 18-20 डिग्री सेन्टीग्रेड के आस-पास रहता है। दिसम्बर-जनवरी माह में जिले में कड़के की ठण्ड पड़ती है जिसके साथ-साथ कोहरा भी पड़ता है। उसी समय उत्तर-पश्चिम से आने वाली हवायें जिले को असामान्य रूप से ठण्डा करती हैं।

11 - जिला गुना का संसाधन मानचित्र (District Resource Map of Guna)



State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parlsey,  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.R.)

**12- रिपोर्ट में अतिरिक्त अंतर्विष्ट बिन्दु (In Addition to the Above, the Report Shall Contain the Following)**

**(क) जिलावार नदी या धारा और अन्य रेत के स्रोत के ब्यौरे (District Wise Detail of River or Stream & Other Sand Source)**

जिले में 02 मुख्य नदियां हैं, जिसमें खनिज रेत की 23 खदानों में नीलामी की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है। रेत जिले की सभी नदियों में मिलती है किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से सिर्फ पार्वती और सिंध नदी म. उपलब्ध है। प्रस्तावित खदानों का ब्यौरा बिंदु कमांक 03 में सम्मिलित है।

**(ख) जिलावार रेत या कंकड़ या समग्र संसाधनों की उपलब्धता (District Wise Availability of Sand or Gravel or Aggregate Resources)**

जिले के समस्त क्षेत्रों में जहां पर बालू/पत्थर उपलब्ध है के लिए खदानें र्खीकृति की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है, जिनका ब्यौरा बिंदु कमांक 03 में दर्ज है।

**(ग) जिलावार विद्यमान रेत के खनन पट्टों के ब्यौरे ओर समग्र (District Wise Detail of Existing Mining Leases of Sand and Aggregates)**

जिले में प्रस्तावित रेत खदानों का ब्यौरा बिंदु कमांक 03 में सम्मिलित है। जिले में कुल 23 रेत खदानें र्खीकृति की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है।

**13- जिले में मुख्य नदियों के विवरण सहित निकासी प्रणाली- एनेक्जर ई (Drainage System with Description of Main Rivers in the District- Annexure I)**

**Annexure-I**

क्र.सं	नदी का नाम	निष्कासन क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	जिले में निष्कासित क्षेत्र
(1)	पार्वती	15,670	25.97%
(2)	सिंध	27,856	4.10%

State Level Environment Audit  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCA)

Paryavaran Parishad  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

14- जिले में महत्वपूर्ण नदियों और धाराओं की मुख्य विशेषताएँ- एनेक्जर II  
 व एनेक्जर III (Salient Features of Important Rivers and Streams-  
 Annexure II & Annexure III)

Annexure-II

क्र.स.	नदी या धारा का नाम	जिले में कुल लंबाई (वर्ग किलोमीटर)	उदगम का स्थान	उदगम के स्थान पर ऊँचाई (m amsl)
1.	Parbati	92.10	Near Village Burrakhedi, Block Astha Sehore District	657.20
2.	Sindh	24	Lateri, Vidisha District	534.10
3.	Pureti	51	Near Village Mahodara, Block & District Guna	506.20
4.	Barri	40.70	Near Village Sonkheda, Block & District Guna	465.20
5.	Kunnu	44.30	Near Village Kajikhedi, Block Sironj, District Vidisha	519

State Level Environment Impact  
 Assessment Authority, M.P.  
 (EPCA)  
 Paryavaran Parivar  
 E.E. Arera Colony, Bhopal (M.P.)


Annexure-IIIDetail of Minerale Mineral Potential

S. No.	Portion of the River Stream Recommended for Mineral Concession		Length of area recommended for mineral concession (in kilometers)	Average width of area recommended for mineral concession (in meters)	Sanctioned area (in Ha.)	Area recommended for mineral concession (in sq.m.)(Area x Depth)	Area recommended for mineral concession (in cu.m.)	Total Sand Potential (in metric tonne) (cu.mx1.4= m.t.)	Minerale mineral potential (60% of total Mineral Potential) (in cu.m.)	Minerale mineral potential (60% of total Mineral Potential) (in metric tonne)	Annual Sand Production 2019-20 (in cu.m.)	Annual Sand Production 2020-21 (in cu.m.)	Annual Sand Production 2021-22 (in cu.m.)				
1	River	Village	Khasra No.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sindh	Rori	29/1	1.25	40	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Kothiya	354	0.546	91.44	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Gopalpur	227	1.094	45.7	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Berkhedi	251	0.546	91.44	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Rampura-Kamlapur-Mahur	978			5.000		25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Laherghat	106,107	1.093	45.7	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Dehrikhurd	548	1.315	38	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Dhimaryai	202,196	1.64	30.48	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Ekodiya	333	1.086	46	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Semrakheda	32	2	25	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
Parvati	Devmadi	306	1.086	46	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	kakwasa	109	1.093	45.7	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Sakonya	1	0.364	137.1	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Ekodiya-Belka	1	2.057	24.3	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Hingona	1	0.54	91.44	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Beelkheda	116	0.656	76.2	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Imaliya	62,64	0.546	91.44	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Raghunathpura	76	1.666	30	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Tajpura	1	0.273	82.8	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Babcha Lehriya	85	0.328	152	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Chopankala	397	0.497	100.5	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Bhamawad	186	0.328	152.4	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
	Khatkiya	324	0.334	149.4	5.000	50000x0.5	25000	35000	15000	21000	-	N.A.	-				
Total-						115	575000	575000	805000	345000	483000	2134				21990	

नोट:-

1- मोप्र० राज्य अनिंज निगम से प्राप्त गुना समूह म. से निष्कासित रेत की मात्रा।

2- गुना जिला सिंध और पार्वती नदी के उद्गम से समीप होने के कारण उक्त नदीयों में रेत की अपेक्षा बोल्डर/पत्थर की मात्रा अधिक है तथा रेत का संग्रहण छन कर करना पड़ता है।

  
 State Level Environment Impact  
 Assessment Authority, M.P.  
 (EPCO)  
 Paryavaran Parivar  
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

## 15- खनिज क्षमता- एनेकजर IV (Mineral Potential- Annexure IV)

## Annexure-IV

बोल्डर (मीट्रिक टन में)	रेत (काली बजरी) (मीट्रिक टन में)	कुल खनन योग्य खनिज क्षमता (मीट्रिक टन में)
6,65,000	1,40,000	8,05,000

16- रेत खनिज खदानों के प्री-मानसून व पोस्ट-मानसून अनुसार पुर्णभरण  
की जानकारी- एनेकजर V (Information About Replenishment of Sand  
Mineral Mines According to Pre & Post Monsoon- Annexure V)

## Annexure-V

Information About Replenishment of Sand Mineral Mines

No.	Replenishment Year 2021			Length of area recommended for mineral concession (in k.m.)	Average width of area recommended for mineral concession (in meters)	Sanctioned area (in Ha.)	Pre-Monsoon		Post-Monsoon	
	River	Village	Kha No.				Area recommended for mineral concession (in sq.m.) (Area x Depth)	Area recommended for mineral concession (in cu.m.) (Area x Depth)	Area recommended for mineral concession (in sq.m.) (Area x Depth)	Area recommended for mineral concession (in cu.m.) (Area x Depth)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sindh	Rori	29/1	1.25	40	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000
2		Kothiya	354	0.546	91.44	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000
3		Gopalpur	227	1.094	45.7	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000
4		Berkhedi	251	0.546	91.44	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.(EPCO)  
Parivaran Parivar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)


जिला सर्केशारा विपोर्ट

5	Rampura-Kamlapur-Mahur	978	1.093	45.7	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000	
6	Laherghat	106,1 07	1.093	45.7	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000	
7	Dehrikhurd	548	1.315	38	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000	
8	Dhimaryai	202,1 96	1.64	30.48	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000	
9	Ekodiya	333	1.086	46	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000	
10	Sennrakheda	32	2	25	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000	
11	Devmadri	306	1.086	46	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000	
12	Parvati	kakwasa	109	1.093	45.7	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000
13		Sakonya	1	0.364	137.1	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000
14		Ekodiya-Belka	1	2.057	24.3	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000
15		Hingona	1	0.54	91.44	5.000	50000 x 0.5	12500	50000x0.5	25000
16		Beelkheda	116	0.656	76.2	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000
17		Imaliya	62, 64	0.546	91.44	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000
18		Raghunathpura	76	1.666	30	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000
19		Tajpura	1	0.273	82.8	5.000	50000 x 0.5	12500	50000x0.5	25000
20		Babcha Lehriya	85	0.328	152	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000
21		Chopankala	397	0.497	100.5	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000
22		Bhamawad	186	0.328	152.4	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000
23		Khatkiya	324	0.334	149.4	5.000	50000 x 0.25	12500	50000x0.5	25000
Total-					115	-	287500	-	575000	

नोट:- स्वीकृत मात्रा से अतिरिक्त मात्रा पानी के अंदर हूबी हुई होने के कारण निकासी  
योग्य नहीं है।

*[Signature]*  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parivar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)


**17- जिले में स्थित नदी व जलधारा तथा रेत स्रोत की जानकारी  
(Information About River & Stream & Sand Source Location  
in the District)**



जिला में गौण खनिज रेत की 23 खदानें हैं, जिनमें नीलामी की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है।


State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)

Paryavaran Parishar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



**चम्बल बेसिन** - चम्बल नदी यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो विन्ध्यन पठार के उत्तरी पश्चिमी लोब तथा अरावली पर्वत के मध्य जलोढ़ संरचना से होकर प्रवाहित होती है। इसलिए इस प्रदेश को चम्बल बेसिन का नाम दिया जाता है। चम्बल और इसकी सहायक नदियाँ जैसे - सिंध और पार्वती कोठा में एक त्रिकोणमयी बेसिन का निर्माण करती हैं।

**यमुना बेसिन** - यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री (उत्तरकाशी से 30 किमी उत्तर, गढ़वाल में) नामक जगह से निकलती है और प्रयाग (प्रयागराज) में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चम्बल, सैंगर, सिंध, बेतवा और केन उल्लेखनीय हैं।




### Lithology of Groundwater Potential Zone of District Guna

Ground Water Potential Zone	Lithology
Fairly Good	Bhander Sandstone
Good	Limestone
	Laterite
	Deccan Trap
Low	Alluvium

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)

Paryavaran Parbat  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)




जिला गुना को छ: Watershed में बांटा गया है, जिसका Interpretation निम्नानुसार है:-

Sr. No.	Watershed	Area (in Sq. Km.)
1.	Parvati River	2917 Sqkm
2.	Sindh River	1129 Sqkm
3.	Kunu River	596 Sqkm
4.	Barri River	678 Sqkm
5.	Purerti River	513 Sqkm
6.	Andheri River	556 Sqkm

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)


Parivaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

**18- गुना जिले की भू-आकृतिक संरचनाएँ, स्थलाकृतिक शीर्ष एवं ढान का स्वरूप (Geomorphological Structures, Physiographical Altitude and Slope Pattern of the District Guna)**




भू-आकृतिक रूप से जिले का अधिकांश भू-भाग ज्वालामुखी उत्पत्ति के Low Level Plateaus, व Plains तथा नदियों द्वारा विकसित Terrace/Rocky Benches, Flood Plains को दर्शाता है। अन्य भू-आकृतिक इकाइयों के रूप में पूर्वोत्तर भाग में प्रोटिरोजोइक शैल-प्रकारों से विकसित संरचनात्मक पठार व मैदान तथा पूर्वी भाग में प्रोटेरोजोइक काल के Sedimentary Rocks से विकसित संरचनात्मक सोपान व Pediments-Pediplains विद्यमान हैं।

जिले का भू-भाग वृहद गंगा द्रोणी के अंतर्गत चम्बल, सिन्ध व बेतवा उप-द्रोणीयों का भाग है। पार्वती व सिन्ध तथा इनकी सहायक नदियों जिले के पश्चिमी मध्य तथा पूर्वी भाग में बहती हैं।



जिले में अधिकतम व न्यूनतम ऊँचाई के स्थान समुद्र तल से 553.70 मी. व 303.60 मी. ऊपर क्रमशः दक्षिणी भाग में आरोन के 09 कि.मी. दक्षिण में तथा उत्तर पश्चिमी भाग में पाडोन के 21 कि.मी. द. द. प. में स्थित हैं।


## DIGITAL ELEVATION MODEL MAP OF DISTRICT GUNA



Topography का Digital Representation ही Digital Elevation Model (DEM) कहलाता है। जिला गुना का Lowest Elevation 303.60 Meter तथा Highest Elevation 553.70 Meter है।

*(Signature)*  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCA)

Paryavaran Patrak  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)




Slope, Landscape Features के मौलिक रूप को दर्शाता है, जो कि इन Features की Hydrological Engineering व Environmental Aspects के लिए महत्वपूर्ण है। जिला गुना का Slope Classification निम्नानुसार है-

#### Classification of Slope Percentage

Slope (%)	Slope Classification
0-3	Flat or Almost Flat
3-5	Gently Sloping
5-15	Sloping
15-30	Moderately Steep
More than 30	Very Steep

## 19- जिले में सतही जल संरचना एवं भूमिगत जल का परिदृश्य (Surface Water & Ground Water Scenario in the District)




जिला गुना में मुख्य रूप से दो नदियाँ - पार्वती और सिंध प्रवाहित होती है, इनके अलावा इनकी सहायक नदियाँ पुरेती, बर्नी, अंधेरी तथा कुञ्जु नदियाँ प्रवाहित होकर जिले में भौगोलिक रूप से Dendric Pattern का निर्माण करती है।

State Level Environment I...

Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)

Paryavaran Parishad  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Page | 40



जल संसाधन जल के वे योत हैं, जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो। जल के उपयोगों में शामिल हैं - कृषि, औद्योगिक, घरेलु और पर्यावरणीय गतिविधियाँ। वस्तुतः इन सभी मानवीय उपयोगों में से अधिकतर में ताजे जल की आवश्यकता होती है।


जल संसाधन के प्रकार :

1. सतही जल संसाधन
2. भूमिगत जल संसाधन

जिला गुना, जल संसाधन के मामले में अच्छी स्थिति में है। यहाँ मुख्य रूप से दो नदीयाँ प्रवाहित होती हैं - पार्वती एवं सिंध तथा इनकी सहायक नदियों के रूप में कून्ड, अंधेरी, पूरेती एवं बर्वी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसके आलावा जल योतों के रूप में मानव निर्मित तालाब एवं बांध मौजूद हैं।

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.

(EPCA)  
Paryavaran Parivar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



Sr. No.	Details	Parvati River Basin	Sindh River Basin
1	Catchment Area up to Exit spot of Particular District	10698 Sqkm	2446 sqkm
2	Catchment Area of Particular District	5589 Sqkm	1117 Sqkm
3	Length of the Catchment Area	286 km	104 km
4	Length of the Catchment Area of Particular District	123 km	76 km
5	Altitude at Origin of the River	567 m	527 m
6	Altitude at Entrance of the Particular District	416 m	490 m
7	Altitude at Exit of the Particular District	317 m	441 m

**20- पर्यावरण पर खनन गतिविधियों का प्रभाव- वायु, जल, शोर, मिट्टी, वनस्पति, जीव, भूमि उपयोग, कृषि, वन आदि) (Impact of Mining Activities on the Environment- Air, Water, Noise, Soil, Vegetation, Species, Landuse Pattern, Agriculture, Forest etc.)**

खनन के पर्यावरणीय प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खनन प्रथाओं के माध्यम से स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो सकते हैं। खनन प्रक्रियाओं से निकलने वाले रसायनों के प्रभाव से जैव विविधता का नुकसान या मिट्टी, भूजल और सतही जल का दूषित होना होता है।

- 1. वायु-** खनन गतिविधियों जैसे पत्थर को कुचलना और नष्ट करना, ऊपर की मिट्टी को हटाना और मुरम की सामग्री के निष्कर्षण से हवा में बड़ी मात्रा में धूल निकल सकती है। इसी तरह बड़े वाहनों में बिना किसी सुरक्षात्मक उपाय के खनिजों की आवाजाही वायु प्रदूषण और श्वसन समस्याओं का कारण बन सकती है।
- 2. पानी -** खनन का आसपास की सतह और भूजल पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
- 3. शोर -** खनन गतिविधियाँ जैसे पत्थर को कुचलना और नष्ट करना, ऊपरी मिट्टी को हटाना और भारी मशीनरी और क्रशिंग प्लांट के माध्यम से मुरम की सामग्री का निष्कर्षण आसपास के क्षेत्रों में भारी शोर पैदा करता है।
- 4. मिट्टी -** फ्लैगस्टोन और बोल्डर खानों के मामले में खनन गतिविधियों के कारण चट्टानों की आवाजाही और अधिक बोझ की आवाजाही। मिट्टी पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। यह मिट्टी के क्षरण और भूमि के क्षरण का कारण बनता है।
- 5. वनस्पति और जीव -** खनन गतिविधियाँ स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। कभी-कभी खनिज निकालने से पहले बड़ी संख्या में पौधे और पेड़ काट दिए जाते हैं। इसी प्रकार नदियों में भारी बालू खनन से जलीय जीवन के पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन होता है।
- 6. भूमि उपयोग, कृषि और वन -** एक खनन गतिविधि भूमि उपयोग पैटर्न क्षेत्र उदाहरण के लिए पहाड़ और पहाड़ियों से खनिजों का निष्कर्षण पहाड़ों की सुंदरता को कम कर सकती है, कृषि भूमि निकटवर्ती क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण बंजर भूमि में बदल

जाती है। वन क्षेत्रों में खनन गतिविधि के कारण जंगल का बड़ा क्षेत्र कट जाता है जिससे क्षेत्र में वनों की कटाई होती है।

## **21- पर्यावरण पर खनन संघात को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय (Remedial Measures to Minimize Mining Impact on Environment)**

जिला गुना न्यूनतम पर्यावरण संघात वाला जिला है, उक्त संघात के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। पट्टाधारियों व उनके यहाँ कार्यरत कर्मचारियों एवं आम नागरिकों में पर्यावरण संचेतना एवं जागरूकता लाये जाने से संबंधित उपाय किये जाकर पर्यावरण संघात को नगण्य किया जा सकता है।

### इस के अतिरिक्त अन्य उपाय-

- खनन गतिविधिया मुख्य रूप से मध्यप्रदेश में बनाये गये इन नियम अधिनियम के अंतर्गत किया जाना चाहिए जो कि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996, म.प्र. रेत (खनन, परिवहन, भंडारण और व्यापार) नियम 2019, सर्टेनेबल रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 और रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशा निर्देश 2020, के मुद्दे यह सुनिश्चित करते हैं कि खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति बनाए रखे।
- पर्यावरण पर खनन गतिविधि के प्रभाव को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम- 1974 और वायु जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम- 1981 के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई शर्तों और शर्तों का पालन करके किसी भी पट्टेदार द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकता है और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित विशिष्ट और मानक स्थिति का पालन कर के।
- खनन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना चाहिए ताकि खनन गतिविधि का लैकल पर्यावरण पर प्रभाव कम हो सके।
- उन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण जहां क्रिंशिंग इकाइयां स्थापित हैं, पट्टा क्षेत्र और पहुंच सड़कों पर पानी के लगातार छिड़काव से कम किया जा सकता है। स्टोन क्रिंशिंग यूनिट में वाटर स्प्रिंकलर, विंड ब्रेकिंग वाल, जीआई शीट-शेड लगाए जाने चाहिए।

- खदान क्षेत्रों में और उसके आसपास सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। खनन गतिविधियों के कारण उत्पन्न कचरे को उचित रूप से डंप किया जाना चाहिए और पुनः उपयोग किया जाना चाहिए।
- वायु प्रदूषण को कम करने के लिए खान श्रमिकों को श्वसन यंत्र, एन-95 मारक जैसे सुरक्षात्मक उपाय उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए खान श्रमिकों को इयर प्लग प्रदान किया जाना चाहिए।
- इस बात की बार-बार निगरानी की जानी चाहिए कि नदी के तल में रेत के खनन से नदी के पानी के प्राकृतिक प्रवाह में कोई बदलाव नहीं आता है। यह जल संसाधन को बनाए रखने में मदद करता है।
- सभी मशीनरी सिस्टम उपकरण स्थापित एक अच्छी काम करने की स्थिति में होना चाहिए और प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए।
- खदान पट्टा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण में सुधार करने के लिए 10 मीटर की हरित पट्टी विकसित की जानी चाहिए।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिए गए अनुदान और अनुमतियों की समय-समय पर निगरानी की जानी चाहिए।

## 22- खनन क्षेत्रों का पुनः सुधार (Reclamation of Mining Areas)

यदि उचित उपाय नहीं किए जाते हैं, तो खनन कार्यों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खनन संचालन के परिणाम स्वरूप मूल भूमि प्रोफ़ाइल रूप से बदल जाएगी और खनन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण का परिमाण और महत्व उपलब्ध खनिजों के प्रकार, खनन और प्रसंरकरण की विधि आदि पर निर्भर करता है।

खनन के बाद खनन की गई, भूमि का पुनर्वास सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पुनर्ग्रहण और भूमि के लिए खनन गतिविधि, खनन योजना के अनुसार होनी चाहिए ताकि खनन सुधार किया जा सके।

अधिकांश खदानों में लीज की अवधि समाप्त होने के बाद, खदानों का पुनर्ग्रहण अपशिष्ट चट्टान या ओवर बर्डन को खदान में वापस भरकर किया जा सकता है, हालांकि खदान सुधार योजना में निम्नलिखित चरण होने चाहिए-

1. ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन का भंडारण और संरक्षण।
2. खनन के दौरान और उसके अंत में, खनन से प्रभावित भूमि के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव।
3. डम्पो का स्थिरीकरण।
4. खनिज पदार्थ के ढेर के लिए डंपिंग ग्राउंड तैयार करना।

### 23- जिले में स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों का विकास (Plantation & Development of Green Belts in the Approved Quarry Lease Areas in the District)

जिला गुना में संचालित अनुदत्त पट्टों में पौधारोपण समग्र रूप से सुनिश्चित किया गया है। हरित पट्टी विकास किये जाने सम्बन्ध में उपागम प्राथमिकता ख्तर पर प्रक्रियारत हैं, जिसके अंतर्लतर वर्षा अवधि में पूर्ण होने की सम्भावना हैं।

वृक्ष, वायु प्रदूषकों का पता लगाने और उनकी निगरानी के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं, और इन्हें विभिन्न स्थानों पर प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। वृक्षारोपण करके हम जैव-सौर्दर्य शास्त्र के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका शमन भी कर सकते हैं। प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषित कर्णों को रोकने वाले पेड़, और प्रदूषण को सहन करने वाले पेड़ और उनके प्रकारों पर उचित योजना और वृक्षारोपण निर्भर करता है।

पेड़ पौधे सदैव हरे भरे, पड़े पल्टे वाले, साथ ही खुरदुरे तने वाले और पर्यावरण के साथ पारिस्थितिक तंत्र के साथ सक्षम होना चाहिए। ऐसे पेड़ लगाये जाना चाहिए जो कि कम पानी का उपयोग करते हो, कम देखभाल वाले, प्रदूषण को शोसित करने में सक्षम, प्रदूषण राकने वाले, पर्यावरण के अनुकूल, तेजी से बढ़ने वाले, और तेज हवा में न फूटने वाले होने चाहिए। पेड़ों की प्रजातिया मिट्टी, स्थालाकृति, जलवायु के अनुकूल होनी चाहिए।

कम से कम दो पंक्तियों का वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जिससे प्रदूषण के रूप से ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके।

### वृक्षारोपण और हरित पट्टी विकास के लिये वृक्षों व प्रजातियों की जानकारी-

S. No.	Botanical Name	Family	Common Name
1.	Tamarindus indica (Linn)	Caesalpiniaceae	Imli
2.	Anogeissus pendula	Combrataceae	Kardhai
3.	siras Albizia lebbek	Leguminosae (Mimoseae)	Kala
4.	Azadirachta indica	Meliaceae	Neem
5.	Butea monosperma	Leguminosea (papilionaceae)	Palas
6.	Ficus infectoria	Moraceae	Pakar
7.	Stereospermum suaveolens	Bignoniaceae	Padar
8.	Salmalia malabarica, Bombax cieba	Malvaceae	Semal
9.	Madhuca indica	Sapotaceae	Mahua
10.	Delbergia latifolia, Roxb	Leguminosae (Papilionaceae)	Shisham
11.	Lannea coromandalica	Anacardiaceae	Kankar
12.	Diospyros melanoxylon	Ebenaceae	Tendu
13.	Anogeissus latifolia	Combretaceae	Dhavda
14.	Zizyphus jujube	Rhamnaceae	Ber
15.	Cassia fistula	Leguminosae (Caesalpiniaceae)	Amaltash
16.	Syzygium cumini	Myrtaceae	Jamun
17.	Acacia karoo	Fabaceae	Keekar
18.	Buchanania lanza (spreng)	Anacardiaceae	Achar
19.	Mangifera indica (Linn)	Anacardiaceae	Aam
20.	Emblica officinalis	Euphorbiaceae	Awla

प्रस्तावित परियोजना, बैरियर जोन के बिना मायनिंग वाले क्षेत्रों में, एपरोच रोड़, नदी किनारों के आसपास वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

### 24- जिले में व्यावसायिक स्वास्थ्य के मुद्दों का विवरण (Details of Occupational Health Issues in the District)

ओपन कार्स्ट विधि में धूल मुख्य प्रदूषक है। खनिज साइट पर, उत्थनन और लोडिंग गतिविधि के दौरान, उत्पन्न धूल श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ओपन कार्स्ट माइनिंग के कारण उत्पन्न व्यावसायिक खतरे मुख्य रूप से भौतिक खतरों के अंतर्गत आते हैं।

  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)

Paryavaran Parishad  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

## संभावित शारीरिक खतरे, इस प्रकार हैं -

खनन कार्यों के कारण होने वाले शारीरिक जोखिम में निम्नलिखित स्वास्थ्य संबंधी खतरों की पहचान की गई -

**प्रकाश** - श्रमिकों को खराब रोशनी या अत्यधिक चमक के जोखिम से अवगत कराया जा सकता है।

**प्रभाव** - आंखों में खिंचाव, सिरदर्द, आंखों में दर्द और लैक्रिमेशन, कार्निया के आसपास जमाव और आंखों की थकान। वर्तमान समय में, खनन गतिविधि केवल दिन के समय की जाती है।

**गर्मी और आर्द्धता** - सबसे आम शारीरिक खतरा गर्मी है। गर्मी का सीधा असर शरीर पर पड़ता है, शरीर में जलन, थकावट, हीट स्ट्रोक और हीट क्रैम्प्स शामिल हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं- दक्षता में कमी, थकान में वृद्धि और दुर्घटना दर में वृद्धि। गर्मी में, तापमान और हवा के तापमान में वृद्धि होने पर गर्म और आर्द्ध स्थिति का सामना करना पड़ता है। नदी तल खनन क्षेत्र में गर्मी में तापमान 46 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे अधिक तक हो सकता है।

**आंखों में जलन** - गर्मी के दिनों में तेज हवा के कारण उड़ने वाली धूल-मिट्टी से आँखों में खुजली और आँखों में पानी आने की समस्या हो सकती है।

**श्वसन संबंधी समस्याएं** - हवा में बड़ी मात्रा में धूल स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकती है। जिस से श्वसन संबंधी विकार जैसे- अस्थमा व फेफड़ों और ब्रोन्कियल मार्ग में जलन जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं।

**शोर प्रेरित बहरापन** - खदान में ध्वनि प्रदूषण का मुख्य खोत मशीनरी है, जिस से बहरेपन जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं।

  
 State Level Environment Impact  
 Assessment Authority, M.P.  
 (EPCO)  
 Paryavaran Parishar  
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
 Page | 48

## 25- जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन (Risk Assessment & Disaster Management)

खनन कार्यों में संभावित जोखिमों का उल्लेख नीचे किया गया है :-

जोखिम पहचान और जोखिम विश्लेषण प्रक्रिया, भंडारण और संचालन, मानवीय त्रुटियों, बिजली की विफलता और प्राकृतिक आपदाओं के कारण परियोजना के संचालन से जुड़े विभिन्न प्रकार के खतरों के बारे में चर्चा करती है। यह पहचाने गए संभावित खतरे के लिए विभिन्न दुर्घटना परिदृश्यों की गणना की आवृत्तियों को भी प्रस्तुत करता है। इनमें विनाशकारी घटनाएं या पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव और तकनीकी कारणों से उत्पन्न खतरे शामिल हैं। सामग्री के परिवहन के दौरान, ईंधन/हाइड्रोलिक तरल पदार्थ के प्रज्वलन से बड़े वाहनों में आग लग जाती है।

### संरचनात्मक विफलता :-

खदान में डंप, बैंच/पिट ढलानों की अस्थिरता, जो चोट और मृत्यु का कारण बन सकती है।

### जोखिम के लिए परिकल्पित परिदृश्य :-

**कार्य का ज्ञान** - जोखिम मूल्यांकन कार्य के सभी पहलुओं की पूरी समझ पर निर्भर करता है। किसी विशेष कार्य के संबंध में जोखिम मूल्यांकन करने में, मूल्यांकन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण की समीक्षा शामिल होनी चाहिए।

**व्यक्तिगत क्षमता** - किसी भी जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कार्य में शामिल कर्मियों का ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण समीक्षा शामिल होना चाहिए। एक जानकार, अनुभवी अच्छी तरह से प्रशिक्षित व्यक्ति दुर्घटनाओं के कम जोखिम पर होगा।

**समन्वय** - यह आवश्यक है कि समन्वयक, यह सुनिश्चित करे कि कार्य में लगे सभी लोग सक्षम हों और दूसरों की भूमिका और एक-दूसरे के प्रति उनकी जिम्मेदारी को समझें।

## खतरों की पहचान :-

**तकनीकी खतरे** - इस दस्तावेज़ के प्रयोजनों के लिए, स्वास्थ्य संबंधी खतरों की व्याख्या हानिकारक धूल, गैसों और शोर के रूप में की जानी चाहिए, जो सतही खनन कार्यों के दौरान उत्सर्जित होती है। खनन कार्यों में शामिल अन्य खतरनाक कार्य जो श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित हैं।

**शोर** - खदान के वातावरण में शोर को एक सामान्य व्यावसायिक खतरा माना जाता है। लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से श्रवण तंत्रिकाओं और इसके संवेदी घटकों (शोर प्रेरित बहरापन) को स्थायी नुकसान हो सकता है। शोर प्रेरित श्रवण हानि (एनआईएचएल) से बचने के लिए, इन मशीनों के केबिनों को ध्वनिरोधी बनाया जाए। साथ ही, उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में काम करने वाले आपरेटरों और अन्य श्रमिकों को उनकी सुरक्षा के लिए इयर प्लग/इयर मफ प्रदान किए जाए। किसी भी कर्मचारी को उचित सुरक्षा उपकरण पहने बिना, उच्च शोर उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए।

**सतह की आग** - रेड ऑकर डिपाजिट में कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होते हैं। हालांकि कोयला खदानों में लगे डंपरों में आग लग सकती है। अग्निरोधक पात्र को छोड़कर किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण नहीं किया जाए। चार माह से अधिक समय तक रखे कोयले में खत: ज्वलन किया होने लगती है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ पर या उसके पास कोई प्रकाश या दीपक नहीं रखेगा और न ही उसे फेंकने देगा। एमएमआर 1961 के विनियम 121 के अनुसार खदान के हर प्रवेश द्वार पर या हर जगह जहां ज्वलनशील सामग्री जमा है, रेत या ज्वलनशील धूल या पर्याप्त पोर्टेबल अग्निशामक की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जाए।

**लोडिंग** - खनिज का समस्त लदान, लोडर/उत्खनन के द्वारा किया जायेगा। हालांकि, श्रमिकों को लोडिंग कार्यों से दूर रखने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि व्यक्तियों पर सामग्री गिरने से बचा जा सके। इसके अलावा, लोडिंग मशीन आपरेटर को ठीक से मार्गदर्शन करने के लिए साइट पर्यवेक्षक द्वारा लोडिंग संचालन की निगरानी की जाती है।

**गहे ढलान विफलता** - बैंच की विफलता से बचने के लिए खान बैंचों के किनारों को उपयुक्त रूप से ढाला जाएगा। बैंच की ऊँचाई से अधिक चौड़ाई के साथ 6 मीटर ऊँचाई रखने की योजना है। बैंच के किनारों और किनारों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा ताकि विफलता, दरारों के विकास आदि के किसी भी लक्षण के लिए निरीक्षण किया जा सके। किसी भी बैंच या गहे ढलान की विफलता से बचने के लिए उचित एहतियाती उपाय अपनाए जाएंगे।

**भारी वाहन** - खनिज और ओवरबर्डन के लदान और परिवहन में उचित सावधानी बरती जाएगी। ब्रेक फेल होने की संभावना को कम करने के लिए अच्छा रखरखाव और नियमित परीक्षण आवश्यक है। एक क्षेत्र को एक परीक्षण क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जाएगा, जहां वाहन ब्रेकिंग सिस्टम की प्रभावशीलता पर नियमित परीक्षण किए जाते हैं।

**व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीई)** - व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों को लागू किया गया है।

**यातायात** - चूंकि उपयोग किए जाने वाले वाहन संख्या में बहुत कम हैं, इसलिए यातायात की आवाजाही के कारण दुर्घटनाओं का कोई खतरा नहीं है। तथापि, ढुलाई सड़कों का उचित रखरखाव किया जाएगा और दुर्घटनाओं से बचने के लिए खनिज परिवहन के लिए चलने वाले वाहनों पर गति सीमा निहित होगी।

**आपदा प्रबंधन योजना** - पूर्ण खनन कार्य प्रबंधन नियंत्रण एवं योग्य खान प्रबंधक के निर्देशन में किया जायेगा। खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), धनबाद ने खान प्रबंधन द्वारा पालन किए जाने वाले कई स्थायी आदेश, और परिपत्र जारी किए हैं। खदान के गहे में सतही जल के किसी भी प्रवाह से बचने के लिए नालियों और मिट्टी के बांधों की जाँच और नियमित रखरखाव। खनन पिट से पानी निकालने के लिए पम्पों की व्यवस्था। अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

खान कार्यालय परिसर एवं खनन क्षेत्र में अग्निशमन एवं प्राथमिक उपचार का प्रावधान रखा जायेगा। सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हेलमेट, काले चश्मे आदि कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे और उनके उपयोग की नियमित जांच की जाएगी। स्वीकृत खनन योजना के अनुसार खदान में कार्यरत सभी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण। चेहरों की नियमित सफाई। निर्माण के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी खनन उपकरणों का

नियमित रखरखाव और परीक्षण। छुलाई सड़कों पर धूल का दमन। प्रतियोगिताओं, पोस्टरों और इसी तरह के अन्य अभियान के माध्यम से सुरक्षित प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

**संचार प्रणाली** - विभाग प्रमुख और उनकी लाइन आफ कमांड के लिए एक आंतरिक संचार प्रणाली को बनाए रखा जाना चाहिए। बचाव स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन सेवा स्टेशन, स्थानीय अस्पताल, बिजली आपूर्ति एजेंसी और स्थायी सलाहकार समिति के सदस्यों के टेलीफोन नंबर और पते होना एक और आवश्यक पहलू है।

**सलाहकार समिति** - खान प्रबंधक की अध्यक्षता में एक स्थायी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा।

**प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं** - खदान प्रबंधन के पास आपात स्थिति में उपयोग के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधा है। सभी हताहतों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाएगा।

**जनसंपर्क समूह के कार्य** - सरकारी अधिकारियों और अन्य समाज सेवा संगठन के साथ सौहार्द पूर्ण संबंध बनाए रखा जाएगा। किसी भी आपदा से उत्पन्न दहशत, तनाव, भावनाओं, शिकायतों और आशंकाओं की स्थिति को सुधारने के लिए खनिकों के प्रतिनिधियों के साथ संपर्क करना।

**अस्थायी बंद के दौरान देखभाल और रखरखाव** - खदान को अस्थायी रूप से बंद करने के दौरान किसी भी कारण से, नोटिस (एमसीडीआर, 1988 के नियम 24 एमएमआर, 1961 के नियम 6 के अनुसार) आईबीएम और खान सुरक्षा अधिकारियों को भेजा जाएगा। सूचना के साथ एमसीडीआर, 1988 के नियम 24 के अनुसार प्रपत्र संख्या डी-1 संलग्न किया जाएगा। देखभाल और रखरखाव के संबंध में सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे।



State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Parivaran Parisar  
E-9, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे।

**गह्रों का संरक्षण** - डीजीएमएस के परिपत्र के अनुसार पहुँचे के खदान वाले हिस्से को स्थानीय भाषा में खतरे को प्रदर्शित करने वाले चेतावनी बोर्ड के साथ खुले गह्रे के चारों ओर फैसिंग द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

**क्षेत्र की सुरक्षा** - स्थानीय भाषा में बिना अनुमति के परिसर में 'प्रवेश सख्त वर्जित है' शीर्षक के साथ प्रवेश पर एक बोर्ड प्रदर्शित करके क्षेत्र की रक्षा की जाएगी।

**खरखाव और निगरानी** - सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक सप्ताह क्षेत्र की निगरानी की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो आवश्यकतानुसार खरखाव किया जाएगा। सभी खनन मशीनरी को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। किए गए वृक्षारोपण की देखभाल और खरखाव नियमित आधार पर किया जाएगा। खदान के किसी भी अस्थायी रूप से बंद होने की स्थिति में सभी नियमों और विनियमों का पालन किया जाएगा।

**आपात योजना** - खदान में कहीं भी कुछ भी गंभीर होने का पता चलने पर, फोरमैन या साथी तुरंत निकटतम खनन अधिकारी और प्रबंधक को सूचित करेंगे। आपात स्थिति की सूचना मिलने पर शिफ्ट प्रभारी, यह सुनिश्चित करेंगे कि आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी सामग्री और परिवहन व्यवस्था को तैयार रखा जाए। प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं को तैयार रखा जाना चाहिए। डीजीएमएस द्वारा निर्धारित विनियमों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।

**काम करने वाले क्षेत्र का वैचारिक पुनर्वासि** - डंपिंग सामग्री के साथ अधिकतम संभव गहराई तक पहुँचने के बाद यानी सतह से अनुमेय गहराई और शेष क्षेत्र को जल भंडारण के रूप में विकसित किया जाएगा। सुरक्षा के लिए अंतिम गह्रों के चारों ओर पर्याप्त रूप से मोटी बांध की दीवार का निर्माण किया जाएगा। बांध के चारों ओर पौधरोपण किया जाएगा। इस प्रकार, संकल्पनात्मक रूप से उत्पन्न सभी कचरे को तैयार किए गए गह्रे में पूरी तरह से वापस भर दिया जाएगा।

**आपदा प्रबंधन योजना की रूपरेखा** - आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य खनन गतिविधि के दौरान अप्रत्याशित, अचानक हुई घटना के कारण खनन कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए सामान्य स्थिति बहाल करना है, जिससे श्रमिकों या किसी मशीनरी या

पर्यावरण को गंभीर खतरा हो सकता है। खनन परियोजना में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं।

- खदान में काम करने वालों को दुर्घटना से बचाने के लिए।
- खनन कार्यों के दौरान चोट की घटनाओं और गंभीरता को रोकने या कम करने के लिए।
- गंभीर दुर्घटना की स्थिति में तुरंत और पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया देना।

किसी भी प्रकार की आपदा चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, जीवन की अत्यधिक हानि का कारण बनती है, और संपत्ति और आसपास के वातावरण को भी इस हृद तक नुकसान पहुंचाती है कि, समाज के लिए उपलब्ध सामान्य सामाजिक और आर्थिक तंत्र गङ्गाबङ्गा जाता है। भारत सरकार ने देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर आपदाओं के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए एक सक्रिय, व्यापक और निरंतर दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचाना और आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम 2005 के साथ सामने आया।

मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी) का यह भी मानना है कि, हर जिले में एक आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता है जो राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए अपनी दृष्टि और रणनीति को स्पष्ट करे। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एमपीएसडीएमए) राज्य में आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारियों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इसके अलावा, डीएम अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और यह जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) की तैयारी, कामकाज और समीक्षा के लिए नोडल एजेंसी होगी। जिला आपदा प्रबंधन योजना का दायरा बहुत व्यापक है, और यह आपदाओं के सभी चरणों (पहले, दौरान, बाद और गैर आपदा समय) में लागू होता है। डीडीएमपी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिकारियों की मदद कर सकते हैं और आपात स्थिति में सीधे अधीनस्थों को मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकते हैं।

यह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों की जिम्मेदारी होगी कि वे जिला आपदा प्रबंधन योजना और संबद्ध कार्यों की समीक्षा सहित आपदा प्रबंधन से संबंधित जिला

और उप जिला स्तरीय संस्थागत गतिविधियों को देखें। यह सभी हितधारकों के लिए और उनकी तैयारी के स्तर का अध्ययन करने के लिए एक चेकलिस्ट भी सुनिश्चित करता है।

योजना का उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक प्रणालियों, संरचनाओं, कार्यक्रमों, संसाधनों, क्षमताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्थापित करना और संबंधित जिले में आपदाओं और आपदाओं के खतरों से बचने की तैयारी करना। आपदा चरण के दौरान गतिविधियों में त्वरित प्रतिक्रिया, राहत, ओज और बचाव को जुटाना, क्षति का आकलन शामिल है। आपदा चरण के बाद गतिविधियों में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं।

४ ❁ ५

*[Signature]*  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Parivaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

## 596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 23 सितम्बर 2022

03 वर्षों के उत्थनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा।

आज दिनांक 22/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री मुकेश कुमार सिंह, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत 02 से 03 वर्षों में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहाँ 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरुद्ध 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये।

अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओं के साथ राजगढ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण की ओर प्रेषित किया जाये।

### 2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, गुना (रेत खनिज)

आज दिनांक 23/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्रीमति पूजा वानखेडे, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे। जिले की गुना जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मे पाया गया कि:-

Mineral	Sand
<b>Earlier DSR Discussed</b>	New DSR
<b>Revised District Collectorate ( Mining)</b>	Vide District Collectorate ( Mining) Office, Guna No. 1004 dated 22.09.2022
<b>SEAC meeting</b>	

## 596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 23 सितम्बर 2022

<b>dated 23/09/22</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● गुना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तालिका क्र. - 14 (Annexure- III) पेज क्र. 29 में लीजवार जो मिनरल पोटेंशियल का विवरण प्रस्तुत किया गया है, तथा पेज नो. 30, Annexure - V में प्रस्तुत तालिका में रेत की मात्रा की गणना करते समय 0.5 घन मी. दर्शाया गया है, जबकि इसी तालिका में Post Mansoon में उपलब्ध रेत की मात्रा 01 मीटर दर्शायी गयी है। अतः Annexure - III में दी गई तालिका में उपरोक्त आधार पर पुनः प्रस्तुत करें।</li> <li>● विगत 03 वर्षों के रेत की मात्रा का खदानवार मात्रा का Production निरंक दर्शाया गया है। कृपया उक्त जानकारी को भी स्पष्ट करें।</li> </ul>
-----------------------	---

आज ही श्रीमति पूजा वानखेडे, खनिज निरीक्षक ने समिति के सुझाये अनुसार आवश्यक सुधारों को पूर्ण कर संशोधित रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत की।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला— गुना के पत्र क्र 1004, दिनांक 22 / 09 / 22 के माध्यम से तालिका क्र 0 – Annexure - III पेज नो. 29 में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60: टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षों के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि गुना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये।

### 3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – रत्नाम

#### अ. रत्नाम – अन्य गौण खनिज मुर्लम – रेत को छोड़कर—

<b>Mineral</b>	<b>Other Minor Minerals (Stone)</b>
<b>Earlier DSR Discussed</b>	SEAC 579 <sup>th</sup> Meeting dated 17.06.22
<b>Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)</b>	Recommended for DSR Updation ( <b>Other Minor Minerals</b> )
<b>Deliberation in the SEAC</b>	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 579वीं बैठक दिनांक 17 / 06 / 22 गौण खनिज मुर्लम जिला रत्नाम,

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 752वीं बैठक दिनांक 15.10.2022  
का कार्यवाही विवरण

तदानुसार जिला कलेक्टर, राजगढ़ को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

26. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट- गुना (रेत खनिज)

राज्य स्तरीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 752वीं बैठक दिनांक 15.10.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 596वीं बैठक दिनांक 23/09/2022 में गुना (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

..... समिति की अनुशंसा है कि गुना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

राज्य स्तरीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 596वीं बैठक दिनांक 23/09/2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए गुना (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

तदानुसार जिला कलेक्टर, गुना को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

27. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट- बुरहानपुर (रेत खनिज एवं रेत के अतिरिक्त गौण खनिज)

राज्य स्तरीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 752वीं बैठक दिनांक 15.10.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 594वीं बैठक दिनांक 21/09/2022 में जिला बुरहानपुर की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

..... समिति की यह अनुशंसा है कि बुरहानपुर की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एवं रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाई दी गयी।

जिला खनिज अधिकारी, जिला बुरहानपुर के ई-मेल दिनांक 08.10.2022 के माध्यम से SEAC की 597वीं बैठक दिनांक 07.10.2022 की अनुशंसा अनुसार चाही गई उपरोक्त जानकारी सीधे ही SEAC को परीक्षण हेतु प्रेषित की गई है एवं उसकी एक प्रति SEIAA को भी प्राप्त हुई है। तदानुसार उक्त जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः परीक्षण हेतु SEAC की ओर अग्रेषित की जाये। ०

४  
(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

४  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

४  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेश कॉलोनी  
भोपाल-४६२०१६ (म.प्र.)

बेवसाईट- <http://www.mpseiaa.nic.in>  
दूरभाष नं. - ०७५५-२४६६९७०, २४६६८५९  
फैक्स नं. - ०७५५-२४६२१३६

No: १९७१ / SEIAA/2022  
Date: २८/१०/२२

प्रति,

कलेक्टर  
जिला - गुना (म.प्र.)

विषय: नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट - गुना (रेत खनिज)

संदर्भ: आपका पत्र क्र. 1004, दिनांक 22/09/22

राज्य स्तरीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 752वीं बैठक दिनांक 15.10.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 596वीं बैठक दिनांक 23/09/2022 में गुना (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

"..... समिति की अनुशंसा है कि गुना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

राज्य स्तरीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 596वीं बैठक दिनांक 23/09/2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए गुना (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है। तदानुसार जिला कलेक्टर, गुना को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णयानुसार कृपया अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की साफ्टकॉपी ई-मेल के माध्यम से आपकी ओर प्रेषित है।

(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

क्र.. / SEIAA / 2022 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि :-

- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
- संचालक, प्रशासन/तकनीकी, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, २९-ए, खनिज भवन, अरेश हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
- सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेश कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) - 462016 की ओर सूचनार्थ।

सदस्य सचिव